

श्रीमद्भागवत की प्रगति

१९६८-६९



भा निदेशालय, उ.प्र. फलाहाबाद

उत्तर प्रदेश में शिक्षा की प्रगति

सामान्य-शिक्षा

1978-79

शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश
इलाहाबाद

विषय-सूची

अध्याय		पृष्ठ	संख्या
1—सामान्य पर्यवेक्षण	1-4
2—प्राथमिक शिक्षा	5-6
3—पूर्व माध्यमिक शिक्षा	7
4—माध्यमिक शिक्षा	8-9
5—अध्यापक प्रशिक्षण		10-11	
6—उच्च शिक्षा	12-13
7—विविष		..	14-22

अध्याय—१

सामान्य पर्यंवेक्षण

आर्थिक विकास एवं सामाजिक पुनर्गठन के लिये शिक्षा एक सशक्त माध्यम है। सम्पूर्ण दश के बालक/बालिकाओं के लगभग 1.65 प्रतिशत को शिक्षा प्रदान करने का उत्तरदायित्व उत्तर प्रदेश पर है। चौदह वर्षों की आयु तक सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के संविधान में निहित निर्देशक सिद्धान्तों के अनुरूप ही प्राथमिक शिक्षा के विस्तार को सर्वाधिक महत्व दिया जा रहा है। प्रदेश में शिक्षा के नये आर्थिक कार्यक्रमों, पर्वतीय एवं पिछड़े क्षेत्रों को विकास योजनाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ी जाति तथा भाषायी अल्प संख्यकों को शिक्षा के लिये विशेष सुविधायें देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। छात्रों की विशेष सुविधा के लिये उनको पाठ्य पुस्तकें, अन्यास पुस्तिकाये तथा छात्रावासों में आवश्यक सामग्री निर्धारित मूल्य में उपलब्ध कराई गई हैं।

2—शिक्षा में गुणात्मक सुधार—अ-प्रारम्भिक स्तर- - प्रारम्भिक स्तर के अध्यापकों को सेवारत प्रशिक्षण देने के लिये 22 सेवारत प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं। वर्ष 1978-79 में लखनऊ, बागरा, मेरठ और बाराणसी की राजकीय प्रशिक्षण संस्थाओं में उर्दू के बी ० टी ० सी ० प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। 6000 अप्रशिक्षित अध्यापकों को पत्राचार द्वारा बी ० टी ० सी ० प्रशिक्षण देने का कार्य राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद द्वारा किया जा रहा है। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद द्वारा समय-समय पर विज्ञान, अध्यापकों को विज्ञान शिक्षण व निर्देशन कार्य की दिशा में प्रशिक्षित किया गया।

3—माध्यमिक स्तर— वर्ष 1978 में माध्यमिक स्तर पर शासकीय एवं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों को ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण दिया गया। इस कार्यक्रम द्वारा 145 अध्यापकों को सैद्धांतिक विषयों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इनके शिक्षण का दूसरा फेरा वर्ष 1979 में ग्रीष्मावकास में होगा। पिछले वर्षों की भाति इस वर्ष भी एल ० टी ० प्रशिक्षण में 50 प्रतिशत स्थान विज्ञान स्नातकों के लिये सुरक्षित रखे गये हैं जिससे विज्ञान की शिक्षा समुन्नत ढंग में देने के लिये अध्यापक उपलब्ध हो सके।

4—उच्च स्तर— राजकीय महाविद्यालय, उत्तरकाशी में स्नातकोत्तर स्तर पर विज्ञान (भौतिक शास्त्र) संकाय की व्यवस्था की गई। चालू विज्ञान वर्ष में बादा व देवरिया में एक-एक राजकीय कन्या महाविद्यालय एवं चरखारी (हमीरपुर) तथा ऊंचाहार (रायबरेली) में बालकों का एक-एक राजकीय महाविद्यालय स्थापित किया है।

3—शैक्षिक योजनायें— प्रदेश में प्राथमिक स्तर पर अगली कक्षाओं में निचली कक्षाओं की अपेक्षा छात्रों की कभी शिक्षा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या है। कक्षा 1 में जितने छात्र प्रवेश लेते हैं उनमें से केवल 25-30 प्रतिशत छात्र कक्षा 5 तक पहुंच पाते हैं जिससे देश को महान आर्थिक क्षमता पहुंचती है।

इस समस्या के निवारण हेतु वर्ष 1975-76 से इलाहाबाद जिले के शकरगढ़ ब्लाक में प्रायोगिक सर्वेक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वर्ष 1977-78 में ह्वास निवारण में 100 प्रतिशत तथा अवरोध के 83 प्रतिशत की प्रगति उल्लेखनीय है। इस वर्ष विद्यालयों की बारण क्षमता 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रयास किया जा रहा है।

इसी प्रकार का कार्यक्रम विकास क्षेत्र डलमऊ (रायबरेली) तथा जवां (अलीगढ़) में भी संचालित है।

4—अध्यापक कन्याण कार्यक्रम—अ-प्रारम्भिक स्तर— पर कार्यरत अप्रशिक्षित अध्यापकों को जिनकी सेवा पात्र वर्ष से अधिक है उन्हें कार्यरत अध्यापक प्रमाण-पत्र तथा जिनकी सेवा 5 वर्ष से कम है उन्हें पत्राचार प्रणाली द्वारा प्रशिक्षित करने की सुविधा दी गई है। फरवरी, 1974 से बेसिक शिक्षा परिषद के समस्त अध्यापकों को संशोधित वेतनमान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस वर्ष परिषद् के समस्त अध्यापक/कर्मचारियों को महापालिकाओं में 10 प्रतिशत एवम् 14 नगर पालिकाओं में साढ़े सात प्रतिशत मकान किराया भत्ता देने की व्यवस्था की है। कई वर्षों से सेवा

निवृत्ति के कारण हुई रिक्तियों पर लगी रोक को शासन ने हटा दिया और 10,900 स्थानों पर नियुक्ति करने की अनुमति दे दी। इससे प्रशिक्षित बेरोजगारों में से काफी को सहायता मिली है।

ब—माध्यमिक स्तर—प्रबन्धकों द्वारा अध्यापकों को अनावश्यक परिताङ्ना रोकने की दृष्टि से इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम में यह व्यवस्था की गई की किसी अध्यापक को 60 दिन से अधिक बिना जिला विद्यालय निरीक्षक की अनुमति के निलम्बित नहीं रखा जायेगा। अध्यापकों की नियुक्ति के लिये भी गुणात्मक आधार पर नियम लागू कर दिये गये हैं।

स—डिग्री स्तर-(1)—पहली अप्रैल, 1975 से नई वेतन वितरण प्रणाली के अनुसार सभी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतन का भुगतान सरकारी एजेन्सी के माध्यम से कराया जा रहा है।

(2)—प्रदेश में सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिये 1 मार्च, 1978 से सामूहिक जीवन बीमा योजना लागू की गई है।

5—छात्रों के लिए विशेष सुविधाये—मासीण क्षेत्रों के प्रतिमावान छात्रों के लिये प्रदेश के 20 जनपदों में आवासीय शिक्षा योजना प्रारम्भ की गयी थी। यह योजना बड़ी मूल्यवान सिद्ध हुई क्योंकि कमबद्ध शिक्षा व्यवस्था से अध्यापकों द्वारा इन बच्चों के व्यक्तिगत अध्यापन पर ध्यान दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 1978-79 में इस योजना का विस्तार 6 और जनपदों में किया गया है। इस योजना का विस्तार कक्षा 11 व 12 में भी किया गया है। इस वर्ष से आवासीय शिक्षा योजनान्तर्गत अध्ययन करने वाले छात्रों में से मौदानी क्षेत्रों के लिये अनुसूचित जातियों के छात्रों को 18 प्रतिशत स्थान पर प्रवेश देने के लिए आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

सीमा सुरक्षा के आश्रितों के लिए नि शुल्क शिक्षा एवं छात्रवृत्ति की सुविधायें दी गयी हैं। 14 वर्ष या इससे अधिक आयु के ऐसे छात्र/छात्राओं को, जो किसी कारणवश सस्थान अध्ययन न कर हाई स्कॉल परीक्षायें बिना जूनियर हाई स्कॉल या कक्षा 8 की परीक्षा पास किये व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में बैठने की सुविधा दी गई। छात्रों को शैक्षिक एवं व्यावसायिक निदेशन हेतु मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश इलाहाबाद द्वारा गाइडेन्स डिप्लोमा प्रशिक्षण दिया जाता है। इस संस्था की बाराणसी, बरेली, कानपुर, आगरा, गोरखपुर, मेरठ एवं लखनऊ शाखाएं मंडलीय मनोविज्ञान केन्द्रों के रूप में कार्य कर रही हैं।

6—अनुसूचित/अनुसूचित जनजाति के अन्यथियों को शैक्षिक सुविधाये—(1) शैक्षिक संस्थाओं में 6 प्रवेश स्थान में से एक स्थान अनुसूचित जाति के बच्चों/अन्यथियों के लिये सुरक्षित रखा जाता है।

(2) अनुसूचित जाति के ऐसे अभिभावकों, जिनकी प्रतिमास आय 500 हपये तक है के बच्चों को कक्षा 12 तक नि शुल्क शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध की गई है।

(3) राजकीय एवं बाराजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों प्रशिक्षण संस्थाओं तथा बेसिक शिक्षा परिषद् के छात्रावासों में 18 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति के अन्यथियों के लिए सुरक्षित रखे गये हैं।

(4) अनुसूचित जाति के छात्रों के छात्र वेतन में 50 प्रतिशत की वृद्धि कर दी गई है और उसके प्रगतान के लिये उस बनराशि को छात्रों के नाम में डाकघर में खुले खाते में जमा करने के आदेश दे दिये गये हैं जिससे उन्हें छात्र वेतन मिलने में कोई असुविधा न हो।

(5) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा के लिये आश्रम पद्धति के विद्यालय स्तोलकर नि शुल्क आवास तथा शिक्षा की व्यवस्था की गई है।

(6) अनुसूचित जाति/जनजाति के अन्यथियों को शिक्षण तथा गैर शिक्षण पदों पर नियुक्ति के लिए स्थान सुरक्षित रखे गये हैं।

(7) वेसिक शिक्षा परिषद् में नियुक्ति के लिये अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सुरक्षित पदों को क्रमशः 18 प्रतिशत तथा 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 45 प्रतिशत कर दिया गया है जिससे उनका प्रतिशत कम से कम निर्धारित प्रतिशत तक शीघ्र आ जाय।

7—उर्दू शिक्षा एवं अल्प संख्यक जाति को सुविधाये— (अ) भाइमरी स्तर पर प्रशिक्षित उर्दू अध्यापकों को उपलब्ध करने के लिये प्रदेश में लखनऊ, आगरा, मेरठ (मवाना) और बाराणसी (सकल-डीहा) के राजकीय दीक्षा विद्यालयों में उर्दू की 4 बी 0 टी 0 सी 0 प्रशिक्षण इकाइया चल रही है। अन्य अप्रशिक्षित अध्यापकों के समान अप्रशिक्षित उर्दू अध्यापकों को सेवारत बी 0 टी 0 सी 0 प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की गई है।

(ब) कक्षा 1 से 8 तक की राष्ट्रीय कृत पाठ्य पुस्तकों के उर्दू संस्करण बाजार में उपलब्ध है। आवश्यकतानुसार उर्दू की पुस्तकों के लेखन कार्य में उर्दू अकादमी की सहायता ली जाती है।

(स) मकतबों का अनुदान दुगुना कर दिया गया है।

(द) अशासकीय डिग्री कालेजों में जहा उर्दू शिक्षा की व्यवस्था है उर्दू विषय को प्रथम वर्ष में ही अनुदान सूची पर लाया जाता है।

(य) राजकीय संस्थाओं में जहा एक भी छात्र उर्दू पढ़ना चाहता है वहा उर्दू अध्यापक उपलब्ध करा दिया जाता है।

(ल) अल्प संख्यक संस्थाओं को उनके आवेदन पर उनके संविधान के आधार पर अल्प संख्यक संस्था घोषित किया जाता है जिससे इनके प्रबन्धाधिकरण अपनी संस्था की विधि के अनुसार प्रशासनिक व्यवस्था कर सकें।

8—प्राच्य एवं दक्षिण भारतीय भाषाओं की सुविधायें—प्राच्य भाषाओं की शिक्षण संस्थाओं में कार्यरत अध्यापकों को नियत वेतन के स्थान पर वेतनमान देकर संस्कृत एवं अरबी संस्थाओं का स्तर उठाने का प्रयास किया गया है। दक्षिण भारतीय भाषाओं तामिल, तेलूगू, कन्नड तथा मलयालम के शिक्षण की व्यवस्था चुनी हुई संस्थाओं में उपलब्ध कराई गई है।

9—युवक कल्याण कार्यक्रम—युवकों के सर्वांगीण विकास हेतु शारीरिक शिक्षा, खेलकूद तथा समाज सेवा के कार्यक्रम, जिला मण्डल तथा राज्य स्तर पर आयोजित किये जाते हैं।

(1) प्रदेश में कक्षा 6 से 8 तक बालचर (स्कार्डिंग) कार्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है।

(2) कक्षा 8 तक प्राथमिक चिकित्सा एवं जूनियर, रेडक्रास प्रशिक्षण अनिवार्य कर दिया गया है।

(3) भारतीय पद्धति के व्यायाम और यौगिक आसनों को वेसिक स्कूलों के पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बना दिया गया है।

(4) प्रतिभावान खिलाड़ियों को छात्र वेतन देने की योजना चल रही है।

(5) महाविद्यालयों के छात्रों के राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत “रोग और गन्धी के विश्व अभियान” संबंधी शिविर संचालित किये गये हैं।

10—विविध—(1) सी 0 टी 0 प्रशिक्षण के समाप्त होने पर प्रदेश के मनी जे 0 बी 0 टी 0 सी 0 प्रशिक्षण केन्द्रों को समाप्त करके उन्हें क्षेत्रीय राज्य संस्थान के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। जिससे उनमें क्षेत्रीय अध्यापकों का सेवारत प्रशिक्षण, कार्यगोली, शोध एवं सेमीनार आदि का आयोजन व्यापक रूप से हो सके और अपने-अपने क्षेत्र की स्थानीय समस्याओं की अध्ययन कर वे निदान प्रस्तुत कर सकें।

(2) 1978-79 में 2170 जूनियर वेसिकतथा 1038 सीनियर वेसिक स्कूल 287 अनुवर्ती कक्षायें, 28 राजकीय हाई स्कूल तथा 4 राजकीय डिग्री कालेज खोलने की स्वीकृति शासन ने प्रदान की।

अध्याय—२

प्राथमिक शिक्षा

१—पूर्व प्राथमिक (शिशु) शिक्षा—

नरसरी शिक्षा आयु वर्ग ३-७ वर्ष तक के बालक/बालिकाओं को दी जाती है। अधिकांश पूर्व प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था निजी संस्थाओं द्वारा की जाती है। इस समय प्रदेश में कुल 125 ग्रंथ सरकारी शिक्षा संस्थाएँ चल रही हैं जिनमें से सभी नगर क्षेत्र में स्थित हैं। शिशु शिक्षा महंगी होने के कारण शासन द्वारा स्वयं प्रयोगात्मक रूप से प्रशिक्षण संस्थाओं से सम्बद्ध 10 राजकीय शिशु केन्द्र चलाये जा रहे हैं। सरकार द्वारा कठिपय अशासकीय मान्यता प्राप्त नरसरी विद्यालयों को आवर्तक एवं अनावर्तक अनुदान दिया जाता है। इन केन्द्रों पर 17497 बालक तथा 11317 बालिकाओं कुल 28814 बच्चे नामांकित हैं।

२—प्राथमिक शिक्षा (जूनियर बेसिक) —

भारतीय सविधान के निर्देशक सिद्धातों की प्रति हेतु प्राथमिक शिक्षा के प्रसार के लिये अत्यधिक प्रयास किया जा रहा है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के लिये बच्चों के घर से मैदानी क्षेत्र तथा पर्वतीय क्षेत्र में 1 कि०मी० की परिधि में एक जूनियर बेसिक स्कूल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

३—वर्ष 1978-79 में ग्रामीण क्षेत्रों में 60999 तथा नागर क्षेत्र में 8245 कुल 69244 जू०बे० स्कूल चल रहे हैं। प्राथमिक स्तर पर अध्ययन कर रहे 7417752 बालक एवं 4457475 बालिकाओं को 1,99,981 अध्यापक तथा 41,317 अध्यापिकायें पढ़ाने का कार्य कर रही हैं। मैदानी क्षेत्र के 48 जनपदों तथा पर्वतीय क्षेत्र के 8 जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रमशः 1750 तथा 297 जूनियर बेसिक स्कूल खोलने की स्वीकृति प्रदान की गई। जूनियर बेसिक स्कूलों में पढ़ने वाले निर्बंल वर्ग के 84,333 छात्र/छात्राओं को नि शुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरण करने की व्यवस्था की गई है।

४—वर्ष 1978-79 के लिये कक्षा 1 से 8 तक कुल 81 राष्ट्रीय कृत पाठ्य पुस्तके प्रकाशित कराई गई। इनमें विभिन्न विषयों की हिन्दी में 44, उर्दू में 33 तथा अंग्रेजी में 4 पुस्तकें हैं। कक्षा 8 तक की सभी पाठ्य पुस्तकें राष्ट्रीयकृत हैं। पाठ्यक्रम निर्माण में यह व्यान रखा गया है कि प्रारम्भिक शिक्षा बेसिक पदार्थ पर शिल्पोन्मुख रहे। इन पुस्तकों के लिये लगभग 3000 टन रियायती दर का कागज भिलो से दिलवाया गया। आवंटित पुस्तकों के मूल्य पर राजस्व के रूप में वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 26.00 लाख ₹ (छाप्पीस लाख) प्राप्त होने की आशा है। वर्ष 1979-80 में कक्षा 1 से 8 तक की राजकीय पाठ्य पुस्तकों की लगभग 2,80 करोड़ प्रतियों के मुद्रण/प्रकाशन एवं वितरण की व्यवस्था अनुमान के विचारधीन हैं।

५—वर्ष 1977-78 में 460 विज्ञान किट जूनियर हाई स्कूलों में वितरित किये गये। वर्ष 1978-79 में भी 467 प्राइमरी किट (विज्ञान उपकरण समूह) युनीसेफ द्वारा विभिन्न प्राइमरी विद्यालयों में उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

६—प्रारम्भिक स्तर पर विज्ञान का नवीन पाठ्यक्रम लागू किया गया है और उस पर आधारित प्राइमरी कक्षाओं में “विज्ञान आओ करके सीखें” नामक राष्ट्रीय कृत पुस्तकें पढ़ाई जा रही हैं।




७—प्रारम्भिक शिक्षा का नियंत्रण एवं प्रशासन बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत गठित एक स्वायत्तशासी संस्था, उ०प्र० बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा किया जाता है। इस समय राज्य में 421 राजकीय 67,981 परिषदीय तथा 836 व्यक्तिगत प्रबन्ध द्वारा कुल 69,244 जूनियर बेसिक विद्यालय चल रहे हैं।

जूनियर बेसिक विद्यालय

मिश्रित

बालक, पुरुष

बालिका, महिला



8—प्रदेश के बेसिक विद्यालयों में बेसिक शिक्षा के कार्यक्रमों को नई दिशा देने तथा छात्रों की रचनात्मक प्रवृत्ति को विकसित करने की दृष्टि से समाजोपयोगी कार्यों हेतु प्रतिदिन एक घंटे का समय निर्धारित है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मिट्टी के खिलौने बनाना, सूत कातना, दफती व कागज का काम, बागवानी तथा विद्यालय परिसर की सफाई एवं सुसज्जित करने का कार्य सम्मिलित है।

9—शासन द्वारा प्रदेश के आठों पर्वतीय जनपदों के प्रत्येक ब्लाक को एक-एक लाख रुपये वर्ष 1976-77 व 1977-78 में स्वीकृत हुआ। वर्ष 1978-79 में इन आठ जनपदों के 56 प्राइमरी भवनों के निर्माण हेतु अनुदान स्वीकृत हुआ है।

10—वर्ष 1977-78 में परिषदीय भवन रहित 688 प्राइमरी एवं 217 जूनियर हाई स्कूल भवनों के निर्माणार्थ 3,49,00,000 रु का अनुदान वेभिक शिक्षा परिषद् को स्वीकृत किया गया।

11—वर्तमान वित्तीय वर्ष में बाढ़ से क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत हेतु शासन ने परिषद् द्वारा सचालित प्राइमरी भवनों की मरम्मत हेतु 15,00,000 रु की स्वीकृति प्रदान की है। जिसके फल-स्वरूप इस दिशा में प्रगति हो सकेंगी।

12—बेसिक विद्यालयों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को दक्षता पुरस्कार प्रदान करने के योजना-न्तर्गत वर्ष 1977-78 की माँति ही 1978-79 में मैदानी क्षेत्र के 180 तथा पर्वतीय क्षेत्र के 20 अध्यापकों को 500 रु प्रति अध्यापक की दर से कमश 90,000 रु और 10,000 रुपये का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त बेसिक शिक्षा परिषद के कार्यरत अध्यापक/अध्यापिकाओं को शैक्षिक योग्यता बढ़ाने हेतु मैदानी क्षेत्र में 25,000 रु तथा पर्वतीय क्षेत्र में 3,000 रु का प्रोत्साहन पुरस्कार मी दिया जायगा।

अध्याय—३

पूर्व माध्यमिक शिक्षा

(१) वर्ष १९७८-७९ में मैदानी क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में १००० सीनियर बेसिक स्कूल तथा पर्वतीय क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में ३८ सीनियर बेसिक स्कूल खोलने की स्वीकृत दी जा चुकी है।

(२) १९७८-७९ में ग्रामीण क्षेत्र में ४,४३४ तथा नगर क्षेत्र में २,९९४ कुल ११,४२८ सीनियर बेसिक स्कूल चल रहे हैं। जिनमें ८,२६६ संस्थाएँ बालकों की तथा ३,१६२ संस्थाएँ बालिकाओं की हैं। इन विद्यालयों में १२,६२,७१२ बालक, ३,५०,४२७ बालिकाएँ अध्ययन कर रही हैं। इनको पढ़ाने के लिये ४६,८१८ अध्यापक १४,८६७ अध्यापिकाएँ कार्यरत हैं। उपर्युक्त विद्यालयों में बेसिक शिक्षा परिषद् में ६,९१६, राजकीय २९५ तथा व्यक्तिगत प्रबन्ध में ४,२१७ विद्यालय हैं। व्यक्तिगत प्रबन्ध के विद्यालयों में १,९१६ सहायिक विद्यालय हैं।

(३) वर्ष १९७८-७९ में पर्वतीय जिलों के १५ असहायिक मान्यता प्राप्त सीनियर बेसिक स्कूलों को अनुरक्षण अनुदान सूची पर लाया गया। इसके अतिरिक्त पर्वतीय क्षेत्र के अशासकीय सीनियर बेसिक स्कूलों का तदर्थं अनुदान भी स्वीकृत किये गये।


(४) राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा जूनियर हाई स्कूल स्तरीय कक्षाओं के लिये शिक्षकों के प्रयोगार्थं राष्ट्रीयकृत पुस्तक के रूप में स्कार्टिंग सर्डिंग का लिखकर प्रकाशित की गई।

(५) राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा “उर्दू कैसे पढ़ावें” पुस्तक लिखी गई तथा कक्षा १ से “८ तक उर्दू पाठ्यक्रम तैयार किया गया।

(६) पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा प्राइमरी में लेकर जनियर हाई स्कूल तक अनुसूचित जाति/जनजाति/आदिवासीयों/पिछड़ी जातियों के लिये आयोजनागत के अन्तर्गत अलग से १९७८-७९ तक लगभग १८,००० अतिरिक्त छात्रवृत्ति स्वीकृत की गई है।

(७) ग्रामीण क्षेत्रों में प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल भवनों की मरम्मत का दायित्व स्थानीय निकायों का है किन्तु निकायों द्वारा घनभाव के कारण मरम्मत कार्यं न करवाने के कारण शासन ने इस वर्ष १५,००,००० रुपों स्वीकृति दी है। इसके अतिरिक्त वर्तमान वित्तीय वर्ष में बाढ़ से क्षति-ग्रन्त भवनों की मरम्मत हेतु शासन ने परिषद् द्वारा सचालित जूनियर हाई स्कूल भवनों की मरम्मत हेतु रुपया १४,००,००० की विशेष स्वीकृति प्रदान की है।




सीनियर बेसिक विद्यालय



बालक पुरुष






बालिका महिला



उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

बालक, पुरुष बालिका, महिला



अध्याय—4

माध्यमिक शिक्षा

इस समय प्रदेश में 3,954 बालक 717 बालिकाओं के कुल 4,671 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छल रहे हैं जिनमें 2,510 विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में तथा 2,161 विद्यालय नगर क्षेत्र में स्थित हैं जिनमें 546 शासन, 4,011 निजी प्रबन्ध एवं 114 स्थानीय निकायों द्वारा चलाये जा रहे हैं। इन विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों एवं कार्यरत अध्यापकों की संख्या निम्नवत् है—

वर्ष	छात्र संख्या			अध्यापक		
	बालक	बालिका	योग	पुरुष	महिला	योग
1978-79	24,60,216	6,59,487	31,19,703	86,037	18,612	1,04,649

(2) वर्ष 1978-79 में मैदानी क्षेत्र में 7 बालक, 10 बालिका एवं पर्वतीय क्षेत्र में 11 बालकों के राजकीय हाई स्कूल खोले गये। मैदानी क्षेत्र के 6 बालिकाओं के तथा पर्वतीय क्षेत्र के 5 बालकों के राजकीय हाई स्कूलों का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण किया गया। 1978-79 में पर्वतीय क्षेत्र में 7 बालकों के सीनियर बैसिक स्कूलों का प्रान्तीयकरण एवं उच्चीकरण किया गया। 1978-79 में पर्वतीय क्षेत्र में बालकों के 5 प्रशासकीय हाई स्कूलों तथा 2 इण्टर कालेजों का प्रान्तीयकरण किया गया।

(3) वर्ष 1978-79 में मैदानी क्षेत्रों में अभी तक 7 बालक एवं 4 बालिका राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में द्विपाली प्रथा लागू की गई।

(4) वर्ष 1978-79 में मैदानी क्षेत्र में 1 बालक (हाईस्कूल) तथा 3 बालिकाओं (2 हाईस्कूल तथा 1 इण्टर कालेज) एवं पर्वतीय क्षेत्र के विद्यालयों में 7 बालकों (2 हाईस्कूल तथा 5 इण्टर कालेज) के विद्यालयों में विज्ञान विषय का समावेश किया गया है।

(5) राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अतिरिक्त अनुभाग खोलने के योजनान्तर्गत वर्ष 78-79 में मैदानी क्षेत्र के 3 बालकों के तथा 7 बालिकाओं के विद्यालयों में पद स्वीकृत किये गये। इसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्र के बालकों के विद्यालयों में 15 तथा बालिकाओं के विद्यालयों में 4 अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया है।

(6) 174 सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को अतिरिक्त छात्र संख्या तथा सैनिटरी मुविधा कंलिए अनुदान, 107 सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों को दक्षता अनुदान, 147 सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान प्रयोगशाला एवं विज्ञान उपकरण के लिए तथा 62 विद्यालयों को पुस्तकालय अनुदान देने का प्राविधान है।

(7) वर्ष 1977-78 में पूर्ण उपलब्धियों के साथ ही साथ वर्ष 1978-79 में राज्य के राजकीय तथा मान्यता प्राप्त विभिन्न प्रकार की शिक्षा संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को शिक्षा के विभिन्न स्तर पर विभिन्न दरों से भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा कुल 30,000 छात्रवृत्तियां आयोजनेतर/आयोजनागत परियोजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत की जाती है।

(8) वर्ष 1978-79 में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन की सुविधा प्रदान करने हेतु निम्नलिखित योजनाओं में उनके सम्बुद्ध अंकित विद्यालयों के लिए आर्थिक स्वीकृतिया शासन द्वारा निर्गत की गई।—

1—राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण	.. 14 (पर्वतीय क्षेत्र)
2—राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण	.. 1 (मैदानी क्षेत्र)
3—राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का विस्तार एवं विद्युतीकरण का निर्माण।	18 (पर्वतीय क्षेत्र)
4—राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का विस्तार एवं विद्युतीकरण का निर्माण।	7 (मैदानी क्षेत्र)
5—राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान अध्ययन के लिए सुविधायें तथा विज्ञान प्रयोगशाला का निर्माण	.. 4 (पर्वतीय क्षेत्र)

(9) सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों से पूर्व वर्ष की भाति दक्षता अनुदान देने की योजनान्तर्गत 1978-79 में भी 107 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को ₹ 1,70,000 दक्षता अनुदान के रूप में स्वीकृत किये जाने का प्राविधान है।

(10) माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ०प्र०, इलाहाबाद द्वारा मेरठ तथा इलाहाबाद मण्डलों को हाई स्कूल, परीक्षा 1978 का परीक्षाफल कम्प्यूटर के माध्यम से तैयार करवाये गये और इनकी सफलता की ध्यान में रखकर इस वर्ष मेरठ, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ तथा गोरखपुर मण्डलों के 31 जिलों का वर्ष 1979 की हाई स्कूल परीक्षा से सबधित परीक्षा कार्य कम्प्यूटर द्वारा करवाया जा रहा है।

(11) वर्ष 1977-78 में उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक/अध्यापिकाओं को ₹ 750 ₹ ० प्रति अध्यापक की दर से 53 अध्यापक/अध्यापिकाओं को कुल ₹ 39,750 ₹ ० की धनराशि दक्षता पुरस्कार स्वरूप स्वीकृत की गई है। वर्ष 1978-79 में भी उक्त प्राविधान स्वीकृत है।

अध्याय—५

अध्यापक प्रशिक्षण

पूर्व भार्ध्याम स्तर—शिक्षण संस्थाओं की अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित करने के लिए 2 राजकीय तथा 3 अराजकीय शिक्षण महाविद्यालय चल रहे हैं। इनमें 2 वर्षीय सी०टी० (नसरी) पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रति वर्ष 150 महिलाओं को प्रशिक्षित करने हेतु प्रवेश स्थान उपलब्ध रहता है।

बी०टी० सी०टी० प्रशिक्षण को दो वर्ष कर दिया गया है। राज्य में पुरुषों के 65 तथा महिलाओं के 56 दीक्षा विद्यालय सचालित हैं। इसके अतिरिक्त 14 जनपदों में बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में बी०टी० सी० इकाइया चल रही है। प्रारम्भिक स्तर के अध्यापकों को सेवारत प्रशिक्षण देने के लिये 22 सेवारत प्रशिक्षण केन्द्र चल रहे हैं। वर्ष 1978-79 में लखनऊ, आगरा, मेरठ और वाराणसी की राजकीय प्रशिक्षण संस्थाओं में उदू के बी०टी० सी० प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। 6,000 अप्रशिक्षित अध्यापकों को पत्राचार द्वारा बी०टी० सी० प्रशिक्षण देने का कार्य राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद द्वारा किया जा रहा है।

कक्षा 6 से 8 तक के गृह विज्ञान तथा शारीरिक शिक्षा अध्यापकों / अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण करने हेतु निम्नलिखित संस्थाएं चल रही हैं :—

	पुरुष	महिला	योग
1—राजकीय गृह विज्ञान सी०टी० कालेज	.	1	1
2—राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय	1	1	2
3—शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय	2	..	2

एतत् ०टी० स्तर—इस स्तर पर अध्यापकों को प्रशिक्षित करने के लिये प्रदेश में 5 राजकीय तथा 7 अशासकीय ऐल०टी० प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं। इनमें से 2 महिलाओं के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालय तथा 3 पुरुषों के हैं। इन प्रशिक्षण महाविद्यालयों में वार्षिक प्रवेश सख्त निम्नवत् है.

1—राजकीय केन्द्रीय अध्यापक विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद	100
2—राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद ..	100
3—राजकीय महिला गृह विज्ञान प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद	30
4—राजकीय बेसिक प्रशिक्षण महाविद्यालय, वाराणसी ..	60 पुरुष, 60 महिला
5—राजकीय रचनात्मक प्रशिक्षण महाविद्यालय, लखनऊ ..	80 विज्ञान, 95 रचनात्मक,
6—के०पी० प्रशिक्षण महाविद्यालय, इलाहाबाद ..	100
7—किशोरी रमन ट्रेनिंग कालेज, मथुरा ..	80
8—डी०ए०बी०ट्रेनिंग कालेज, कानपुर ..	100
9—सकलडीहा प्रशिक्षण महाविद्यालय, सकलडीहा (वाराणसी)	100

10

10—दिग्बिजयनाथ प्रशिक्षण महाविद्यालय, गोरखपुर ..	120
11—किसान प्रशिक्षण महाविद्यालय, बस्ती ..	80
12—क्रिश्चयन ट्रेनिंग कालेज, लखनऊ ..	100

इस प्रकार एल० टी० स्तर के प्रशिक्षण हेतु 1285 अम्यथियों/अम्यथिनियों के प्रवेश की व्यवस्था है।

विस्तार सेवा केंद्र—प्रदेश में विस्तार सेवा योजना 3 राजकीय तथा 1 अशासकीय प्रशिक्षण महाविद्यालयों में चल रही है। इनका आर्थिक भार प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। 10 केंद्र इकाइया 30 जून, 1978 से समाप्त कर दी गयी है।

अध्याय—६

उच्च शिक्षा

(1) उच्च शिक्षा की सुविधा के लिये प्रदेश में 19 विश्वविद्यालय बल रहे हैं। इन विश्वविद्यालयों में रुडकी (सहारनपुर) स्थित इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, पतनगर (नैनीताल) स्थित कृषि विश्वविद्यालय, वाराणसी स्थित सम्पूर्णनन्द संस्कृत विश्वविद्यालय एवं काशी विद्यापीठ कैजाबाद स्थित नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय तथा कानपुर स्थित चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी, अलीगढ़, गोरखपुर, कानपुर, मेरठ, नैनीताल, श्रीनगर (पौड़ी गढ़वाल), ज्ञासी, फैजाबाद तथा बरेली में एक-एक विश्वविद्यालय संचालित हैं। गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार (सहारनपुर) को विश्वविद्यालय जैसी सस्था का स्तर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्राप्त है।

(2) सत्र के प्रारम्भ में प्रदेश में 342 अशासकीय एवं 28 राजकीय डिग्री कालेज थे। अशासकीय विद्यालयों में 267 पुरुष एवं 75 महिलाओं के थे। 28 राजकीय डिग्री कालेजों में से निम्नांकित चार राजकीय महाविद्यालय वर्ष 1978-79 में खोले गये हैं—

- 1—राजकीय महाविद्यालय, चरखारी-हमीरपुर।
- 2—राजकीय महाविद्यालय, कंचाहार-रायबरेली।
- 3—राजकीय महिला महाविद्यालय बादा।
- 4—राजकीय रजा महाविद्यालय, देवरिया।

(3) चालू वित्तीय वर्ष 1978-79 में निम्नलिखित राजकीय महाविद्यालयों में नये सकार्यों तथा विषयों में स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तर पर नयी कक्षायें आरम्भ की गईं—

- 1—राजकीय महाविद्यालय, बागेश्वर, अल्मोड़ा।
- 2—राजकीय महाविद्यालय, पिथौरागढ़।
- 3—राजकीय महाविद्यालय, उत्तरकाशी।
- 4—राजकीय रजा महाविद्यालय, रामपुर।
- 5—राजकीय महिला महाविद्यालय, रामपुर।
- 6—राजकीय महाविद्यालय, गाजीपुर।
- 7—के० एन० राजकीय महाविद्यालय, ज्ञानपुर (वाराणसी)।

(4) पचम पंचवर्षीय योजना में गैर सरकारी सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा अधीक्षक की व्यवस्था हेतु अनुदान सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत 34 महाविद्यालयों में शारीरिक शिक्षा अधीक्षक/सहायक शारीरिक शिक्षा अधीक्षक के पद स्वीकृत किये गये हैं।

(5) स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में बालिकाओं को विशेष सुविधायें प्रदान करने हेतु वर्ष 1978-79 के लिये 50,000 रु० स्वीकृत है। अशासकीय स्नातक एवं स्नातकोत्तर महाविद्यालयों को उनके स्वच्छ प्रशासन एवं उत्तम परीक्षाफल धार्दि के लिये प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इनुदान स्वीकृत किये जाने हेतु वर्ष 1977-78 की भारत 1978-79 में भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1978-79 में गैर सरकारी महाविद्यालयों के विकास कार्यों हेतु अनावरतंक अनुदान देने हेतु 30.00 लाख रुपय का प्राविधान है।

शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर वर्ष 1978-79 में डिग्री स्तर पर करीब 1,700 नवीन छात्रवृत्तियां तथा 4550 छात्रवृत्तियों का नवीनीकरण तथा शिक्षा सहिता के विभिन्न अनुच्छेदों के अनुसार आर्थिक सहायता के निमित्त 39,57,500 रु मैदानी तथा 2,56,100 रु पर्वतीय क्षेत्र के जिलों के लिये उच्च शिक्षा में स्वीकृत करने का प्राविधान है। इन छात्रवृत्तियों तथा धनराशि के अन्तर्गत मुख्य छात्रवृत्तियों का विवरण निम्नवत् है।

(1) प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों को स्नातक प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में 200 छात्रवृत्तियां स्वीकृत करने का रु 50,000 प्राविधान है।

(2) सीमान्त क्षेत्रों, युद्धग्रस्त क्षेत्रों में तैनात यू.0.री.0.पी.0.ए.0.सी.0 जवानों तथा सशस्त्र पुलिस कर्मचारियों के बच्चों को डिग्री स्तर पर 60 छात्रवृत्तियां स्वीकृत करने के लिये 7,800 रु का प्राविधान है।

(3) इण्डियन स्कूल ग्राफ़ इटरेशनल स्टडीज, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली में शोध कार्य करने वाले 2 छात्रों को 2 छात्रवृत्तियां 4 वर्ष हेतु 300 रु प्रतिमास की दर से स्वीकृत करने हेतु तथा उस पर रु 29,000 व्यय करने का प्राविधान है।

(6) स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों को एवं आश्रितों को डिग्री स्तर पर छात्रवृत्तियां एवं आर्थिक सहायता स्वीकृत करने हेतु तथा उस पर व्यय हेतु 3,62,000 रु का प्राविधान है।

(7) सीमा सुरक्षा दल के कर्मियों के बच्चों एवं आश्रितों को शैक्षिक सुविधा प्रदान करने हेतु 10,000 रु का व्यय करने का प्राविधान है।

(8) वित्तीय वर्ष 1979-80 में आयोजने तर आय-व्ययक में विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियां आर्थिक सहायता प्रशान करने हेतु मैदानी तथा पर्वतीय जिलों के लिये क्रमशः 39,27,500 रु तथा 3,46,100 रु व्यय करने का अनुमान है।

(9) योजना संकेत संख्या 60104022 के अन्तर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में अतिरिक्त नसंरी एवं छात्रवृत्तियां देने के लिये वित्तीय वर्ष 1978-79 में 87,000 रु का प्राविधान है। इस प्राविधान में 150 नसंरी रु 60 प्रतिमाह की दर से तथा 150 छात्रों को रु 100 वार्षिक पुस्तकीय सहायता प्रदान करने का लक्ष्य प्रस्तावित है।

(10) योजना संकेत संख्या 60104023 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1978-79 में 1,60,000 रु का प्राविधान है। योजनान्तर्गत भौतिक लक्ष्य निर्धारित नहीं थी। उपलब्ध धनराशि के आधार पर विभिन्न पाठ्यक्रम में छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं।

(11) वित्तीय वर्ष 1979-80 में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में अतिरिक्त वर्सरी एवं छात्रवृत्तियों हेतु पहाड़ी जिलों के लिये 25,000 रु एवं मैदानी जिलों के लिये 2,00,000 रु का प्राविधान प्रस्तावित है।

(12) उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग ने चार मास की अवधि का प्रमाण-पत्र स्तरीय पुस्तकालय विज्ञान प्रशिक्षण वर्ष 1970 से प्रारम्भ किया था। इस प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण केन्द्रों के संचालन व निरीक्षण में केन्द्रीय पुस्तकालय द्वारा विभाग को समय-समय पर यथावाहित परामर्श तथा सहयोग दिया जाता है। पाठ्यक्रम, शोध सेवारत प्रशिक्षण एवं आय विषयों पर परीक्षण में सुविधा के लिये विभाग की अनुमति से मई, 1977 से केन्द्रीय पुस्तकालय में भी एक प्रशिक्षण संस्थान प्रारम्भ कर दिया गया है।

(13) विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना की योजना के कार्यान्वयन हेतु 9.40 लाख रु का प्राविधान किया गया है।

अध्याय—७

विविध

'भ' शिक्षा प्रसार विभाग.—सामाजिक शिक्षा (प्रीढ़ शिक्षा) के क्षेत्र में वर्ष 1938 से निरन्तर कार्य करता आ रहा है। प्रयोग के आधार पर अनुभव जनित तत्वों का समावेश करके विशिष्ट व्यक्तियों के माध्यम से निरक्षरता उन्मूलन का मुख्य उद्देश्य लेकर कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। वर्तमान में इस विभाग का कार्य दो प्रमुख अनुभागों में विभक्त है :

क—सामाजिक शिक्षा

इस विभाग से सम्बद्ध चार सचिल दलों (गोष्ठी, साक्षरता, पुस्तकालय एवं प्रदर्शनी) के माध्यम से समाज शिक्षा का कार्य संचालित किया गया। गोष्ठी दल द्वारा 9 शिविरों का आयोजन किया गया, साक्षरता दल द्वारा मिरजापुर तथा फैजाबाद में 5-5 साक्षरता केन्द्रों का संचालन कर 152 प्रीढ़ों को साक्षर किया गया। पुस्तकालय दल ने कुल 4 शिविरों का आयोजन कर इस योजना से लगभग 36,900 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया एवं प्रदर्शनी दल ने प्रतापगढ़, आजमगढ़, फैजाबाद एवं इलाहाबाद जनपदों में पाच प्रदर्शनी शिविर आयोजित किये जिनमें लगभग 8,75,800 व्यक्ति लाभान्वित हुये। माध्य मेला क्षेत्र में मेले के पुनीत अवसर पर एक शिविर का आयोजन कर देश देशन्तर से आये तीर्थ यात्रियों के लिये पुस्तकालय एवं वाचनालय सुविधा उपलब्ध कराने के साथ ही साथ प्रदर्शनी एवं समाज शिक्षा संबंधी कार्य सम्पन्न किये गये। इसके अतिरिक्त चल चित्र प्रदर्शन द्वारा सामूहिक शिक्षा का कार्यक्रम शैक्षिक वातावरण में तैयार करने तथा शैक्षिक मूल्यों की प्रतिस्थापना के लिये प्रदेश के 15 जनपदों में कुल 290 चल चित्रों के प्रदर्शन की आयोजना की गई जिनस 4,06,725 व्यक्ति लाभान्वित हुये। इसके अतिरिक्त समाज शिक्षा कार्यक्रमों में 437 गोष्ठियों, 268 पुस्तकालय, वाचनालय सवा एवं 187 अन्य समाजोपयोगी कार्यक्रम सम्पन्न किये गये जिनसे लगभग 1,76,000 व्यक्तियों को लाभान्वित कराया जा सका।

2—नवसाक्षरोपयोगी साहित्य का प्रकाशन—चार नव साक्षरोपयोगी साहित्य, ग्रामीण उद्योग भाग 1 एवं 2 अवधेरे से उजाला और सूरजमुली की सेती का प्रकाशन किया गया। साथ ही नव घोषित पत्रिका नियमित रूप से प्रकाशित कर प्रदेश के अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों पर प्रतिमाह 3,795 प्रतियाँ तथा 1,400 राजकीय ग्रामीण पुस्तकालयों को प्रेषित की गई। प्रीढ़ पौधी एवं अपराध नियन्त्रण नामक पुस्तकों की पाड़ुलिपिया तैयार कर अनुमोदनार्थ मेजी गई।

3—ग्रामीण पुस्तकालय—विभाग द्वारा 1400 राजकीय ग्रामीण पुस्तकालयों एवं 3600 वाचनालयों का संचालन किया गया। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित 12 जनता पुस्तकालयों को 972 रु का अनुदान दिया गया।

ख—अध्य-दृश्य शिक्षा

1—चल चित्र निर्माण केन्द्र.—इस केन्द्र पर कक्षा शिक्षण एवं समाज शिक्षण संबंधी चल चित्रों का निर्माण किया गया। वर्ष 1977-78 में 6 चलचित्र, (पुरस्कार समारोह, आठजीं अन्तर्राष्ट्रीय फुटबाल भ्रतियोगिता, आगरा, शिक्षा समाचार, बेसिक विद्यालय, शिक्षा समारोह दल, साबुन) निर्मित किये गये।

2—प्रादेशिक चल चित्रालय:—इस चल-चित्रालय से प्रदेश की शैक्षिक संस्थाओं, शासकीय विभागों एवं निजी संगठनों को जो इस चल-चित्रालय के सदस्य हैं, चल-चित्र निर्गत किये गये। इस चल चित्रालय में सदस्यों की संख्या 0 378 है। समाज शिक्षा इकाई के कार्यक्रमों के लिये भी इस चल चित्रालय से चल-चित्र निर्गत किये गये। वर्ष 1977-78 में कुल 1359 चल-चित्र निर्गत किये गये।

3—श्रव्य-दृश्य शिक्षा प्रशिक्षण केन्द्र—इन केन्द्रों के माध्यम से राजकीय एवं अराजकीय संस्थाओं के अध्यापकों/अध्यापिकाओं को श्रव्य-दृश्य प्रणाली से अवगत कराया जाता है। इस वर्ष तीन सत्रों में कुल 23 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया।

'ब' केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय—राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा दिसम्बर, 1949 में इलाहाबाद में राज्य सरकार के केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। 1956 में नौ जिला पुस्तकालय अल्मोड़ा, बरेली, बाराणसी, आगरा, झासी, मेरठ, गोरखपुर, भयुरा व कानपुर जिलों में स्थापित किये गये। 1965-66 में सीमान्त क्षेत्रीय जनपदों उत्तरकाशी, चमोली तथा पिथौरागढ़ में राजकीय जिला पुस्तकालयों की स्थापना की गई। 1973-74 में राज्य सरकार द्वारा श्री देव सुमन पुस्तकालय, टेहरी गढ़वाल का प्रान्तीयकरण करके उसे राजकीय जिला पुस्तकालय का स्तर प्रदान कर दिया गया है। वर्ष 1977-78 में पौड़ी-गढ़वाल में भी राजकीय जिला पुस्तकालय खोला गया है। इस प्रकार शिक्षा (माध्यमिक) विभाग के अन्तर्गत अब तक जिला पुस्तकालयों की संख्या 14 हो गई है।

पाठकों की संख्या में निरन्तर वृद्धि, संग्रहित सामग्री का अधिकाधिक प्रयोग और जन-साधारण में इन पुस्तकालयों की प्रति जागरूकता इन पुस्तकालयों की लोकप्रियता का प्रमाण है। अब तक राजकीय केन्द्रीय पुस्तकालय के सदस्यों की संख्या 4,688 हो गई है तथा पुस्तकों की संख्या 45,186 हो गई है।

2—अनौपचारिक एवं प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम—व्यापक स्तर पर देश में व्याप्त निरक्षरता के उन्मूलन हेतु भारत सरकार ने देश के दस करोड़ निरक्षर व्यक्तियों को छठी पंचवर्षीय योजना (1978-83) में शिक्षित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम को सम्पूर्ण देश में कार्यान्वयन करने का निश्चय किया है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा 2 अक्टूबर, 1978 को किया गया। इस कार्यक्रम को जनता में प्रभावशाली तथा सफल बनाने के उद्देश्य से सरकारी परियोजनाओं के साथ-साथ विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, नेहरू यूवक केन्द्र तथा स्वचिक्षक संस्थाओं द्वारा प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम सचालित करने की योजना बनाई गयी है।

ग्रामीण किसान साक्षरता कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार के संसाधनों से 1,020 केन्द्र तथा प्रदेश सरकार के संसाधनों से 15-35 वर्ग के लिये प्रदेश के न्याय पंचायत के मूल्यालयों पर 7,375 केन्द्र अनौपचारिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत होले गए। उपर्युक्त कार्यक्रम में लगभग 1,68,000 व्यक्तियों के लाभान्वित होने की आशा है। इसके साथ-साथ 11-14 वर्ग के बालक-बालिकाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत वर्ष 1978-79 में 4,675 केन्द्र चलाये गये। इस कार्यक्रम में 93,500 व्यक्तियों के लाभान्वित होने की आशा है। कार्यक्रम के उचित कियान्वयन की जांच हेतु निदेशालय द्वारा कार्यक्रम का निरन्तर मूल्यांकन किया जाता रहा है। इस कार्य हेतु एक वास्तु मूल्यांकन इकाई की भी स्थापना की गयी है।

3—संस्कृत शिक्षा—स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद तीन दशक में प्राच्य संस्कृत शिक्षा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में आशावृत प्रगति हुई है। वर्ष 1976-77 में 953 संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान प्रदान किया जा रहा था किन्तु वर्ष 1977-78 में 16 संस्कृत पाठशालाओं की संख्या 969 हो गई। वर्ष 1977-78 में 879 संस्कृत पाठशालाओं को अनुपालन अनुदान प्रदान किया गया। वर्ष 1977-78 में संस्कृत पाठशालाओं के निमित्त भवत, साज सज्जा तथा पुस्तकालय के मद में विकास योजना के अन्तर्गत 3 छात्र

रुपये की धनराशि प्राविधानित थी साथ ही प्रदेश की संस्कृत पाठशालाओं के तीन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार तथा तीन शिक्षकों को राज्य शिक्षक पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रदेश शासन द्वारा संस्कृत के तीन विशिष्ट विद्वानों को पन्द्रह-पन्द्रह हजार रुपये की धनराशियों से सम्मानित किया गया। वर्ष 1977-78 में प्रदेश की मान्यता प्राप्त अनुदान प्राप्त संस्कृत पाठशालाओं की संख्या क्रमशः 1450 तथा 969 हैं। वर्ष 1978-79 में उत्तराखण्ड के संस्कृत पाठकों को तदर्थं अनुदान 5,000 रु. देने का प्राविधान है।

प्राच्य संस्कृत शिक्षा के प्रति आकर्षण लाने की दृष्टि से वर्ष 1977-78 में संस्कृत पाठशालाओं के छात्रों को योग्यता छात्रवृत्तियां निवन्धन छात्रवृत्ति एवं पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये छात्रवृत्ति/स्वीकृत की गई और संस्कृत अकादमी उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा संस्कृत क श्रमावग्रस्त प्रख्यात पंडितों/साहित्यकारों तथा वेदपंडितों को आर्थिक सहायता प्रदान कर सम्मानित किया गया।

4—अरबी तथा फारसी शिक्षा—प्रदेश में अरबी तथा फारसी मदरसों की संख्या 225 है जो विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त है। इनमें से 179 मदरसे अनुदान सूची पर हैं। विभाग द्वारा मदरसों को विभिन्न प्रकार के अनुदान दिये जाते हैं जो निम्नलिखित हैं:

अनुपालन अनुदान, तदर्थं वेतन वृद्धि तथा मर्हाई मत्ता। इसके अतिरिक्त प्रारम्भिक अनुदान, भवन अनुदान, साज-सज्जा अनुदान तथा पुस्तकालय अनुदान भी विभाग द्वारा अरबी मदरसों को दिया जाता है।

विभाग द्वारा अरबी तथा फारसी की 5 परीक्षायें सम्पन्न होती हैं: फारसी की दो परीक्षायें मुद्री तथा कामिल और अरबी की तीन परीक्षायें भौलवी, आलिम तथा फाजिल। अरबी की फाजिल परीक्षा 5 विषयों में होती है: अरबी साहित्य, सुन्नी दीनयात, शिया दीनयात, माकूलात तथा तिब। अरबी तथा फारसी परीक्षाओं के लिये शासन द्वारा गठित एक बोर्ड है जिसके सदस्य पुराने एवं नये दोनों प्रकार के अरबी तथा अन्य विषयों के विशेषज्ञ हैं। यह बोर्ड आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रम में सुधार करता है। अरबी तथा फारसी परीक्षा में परीक्षार्थियों की जो वृद्धि हुई है उसका अनुमान निम्नलिखित तालिका से लगाया जा सकता है:—

वर्ष	पंजीकृत परीक्षार्थियों की संख्या		सम्मिलित परीक्षार्थियों की संख्या	उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या
	परीक्षायें सम्पन्न होती हैं	परीक्षायें भौलवी होती हैं		
1976	2,776	1,935
1977	2,897	2,016
1978	3,517	2,428
				1,538

सहायता पाने वाले अरबी मदरसों के अतिरिक्त दो और भी मदरसे हैं। एक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मिर्जापुर का श्रीरियेन्टल सेकेनेन तथा दूसरा राजकीय श्रीरियेन्टल कालेज, (मदरसा आलिया), रामपुर, उत्तर प्रदेश।

निरीक्षक, अरबी मदरसा अरबी तथा फारसी परीक्षाओं के रजिस्ट्रार तथा उर्दू माध्यम विद्यालयों के निरीक्षक भी हैं।

5—उर्दू शिक्षा—प्रदेश में उर्दू शिक्षा एवं उर्दू साहित्य के विकास, प्रसार तथा उन्नयन के लिये उर्दू अकादमी स्थापित की गई है। उर्दू अकादमी की वर्ष 1977-78 में शासन ने दस लाख रुपये का अनुदान दिया। अन्युमन-ए-तरकी-ए उर्दू को छ बड़े शहरों में उर्दू माध्यम से पाचवीं कक्षा तक माडल स्कूल खोलने हतु तथा 10 जनपदों में प्रोड मंडल साक्षरता कक्षाये प्रारम्भ करने हेतु 80,000 रुपये का एक मुश्त अनुदान स्वीकृत किया गया।

6—अंग्रेजी माध्यम संस्थायें :—प्रदेश में इस समय 67 अंग्रेजी माध्यम की शिक्षण संस्थायें हैं।

इनमें एक शिक्षक प्रशिक्षण संस्था भी शामिल है। उपर्युक्त संस्थाओं में 45,807 बालक तथा 19,223 बालिकायें शिक्षा ग्रहण करती हैं। शिक्षण कार्य में 491 पृष्ठ तथा 1,351 महिलायें कार्य-रत हैं। आंल भारतीय विद्यालयों की परीक्षायें, कौंसिल फार इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इवजामि-नेशन, नई दिल्ली द्वारा संचालित होती हैं। वर्ष 1978 से कौंसिल द्वारा अब 10+2 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारम्भ कर दिया गया है। इस कारण कक्षा 10 एवं 12 के पश्चात् परीक्षायें, यह कौंसिल लेती है। छ: स्कूलों को माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा भी मान्यता मिली हुई है। पांच विद्यालय केन्द्रीय सरकार के रेल मन्त्रालय द्वारा संचालित हैं। ये सभी विद्यालय निजी प्रबन्ध समितियों द्वारा चलाये जाते हैं। आल्यागत वर्ष में फैल आठ विद्यालय आवर्तक अनुसंधान अनुदान सूची में हैं। विद्यालयों के आय के स्रोत मुख्यतः छात्रों से लिये जाने वाले शुल्क हैं।

जनपद लखनऊ के जिला विद्यालय निरीक्षक, इन विद्यालयों के निरीक्षण का कार्य करते हैं।

7—दक्षिण भारतीय भाषाओं तथा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं की शिक्षा—भावात्मक एवं राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से दक्षिण भारतीय भाषाओं के शिक्षण हेतु वर्ष 1977-78 के आयो-जनेतर बजट में 2,30,000 रुपये का प्राविधान है। मोतीलाल मेमोरियल सोसायटी, लखनऊ द्वारा संचालित दक्षिण भारतीय संस्थाओं के केन्द्र में तामिल एवं तेलगू का उच्च स्तरीय अध्यापन हो रहा है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार तथा प्रदेशीय शासन द्वारा प्रदान की गई आर्थिक सहायता से उक्त सोसाइटी द्वारा कष्ट तथा मलयालम भाषाओं की कक्षायें भी 1970 से चलायी जा रही हैं। परीक्षार्थियों का सातवा बैच 2जिम्द्वार विभागीय नियमों द्वारा संचालित 1977 की परीक्षा में मन्मिलित हुआ।

8—पुनर्व्यवस्था योजना—शिक्षा बेसिक अनुभाग के अन्तर्गत व्यवहृत होने वाली योजनाओं में शिक्षा पुनर्व्यवस्था योजना, कार्यानुशव योजना, योजना संघ्या 11 एवं किसान साक्षरता योजना प्रमुख है। इन योजनाओं के अन्तर्गत कक्षा 6 से 8 तक वृषि गव शिल्प विषय को मुख्य शिल्प के रूप में अग्रीकृत किया गया है।

आयोजनेतर आय-व्ययक के अन्तर्गत इस वर्ष 1977-78 में पुनर्व्यवस्था योजना के मैदानी क्षेत्र हेतु 1,36,91,300 रु तथा पर्वतीय क्षेत्र हेतु 14,52,500 रु कार्यानुभव योजना के अन्तर्गत मैदानी क्षेत्र हेतु, 11,36,100 तथा पर्वतीय क्षेत्र हेतु 1,76,200 रु का प्राविधान स्वीकृत किया गया है।

इन योजनाओं के अन्तर्गत विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा (राजपत्रित) 5, विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा में 4, स्नातक वैतनक्रम में 1071, अधिस्नातक वैतन क्रम में 2,036, जे 0टी 0सी 0 वैतन-क्रम में 40 तथा एच 0टी 0सी 0 वैतनक्रम में 1 कम्पन्चारी कार्यरत हैं।

शिल्प कृषि विषय एक तकनीकी विषय है उसकी प्रगति, महत्ता एवं प्राविधिकता को दृष्टिगत रखते हुए तकनीकी मार्ग दर्शन हेतु सहायक/कृषि पर्यंवेक्षक/सहायक पर्यंवेक्षक मुख्यालय स्तर पर कार्यरत है।

इन योजनाओं के अन्तर्गत विद्यालयों के लगभग 20,000 एकड़ भूमि पर कृषि प्रयोगात्मक शिक्षा का प्राविधान है इसमें से 13,120 एकड़ भूमि कृषि योग्य है जिस पर गत वर्ष लगभग 33,50, 111. 3 / रु 0 की उपज प्राप्त हुई है।

कार्यानुभव योजना भारत सरकार के निर्देशानुसार एक विशिष्ट योजना के रूप में प्रदेश में प्रारम्भ हुई है। इनके अन्तर्गत कुकुट पालन, मधुमक्खी पालन, फल सरक्षण, रेशम कीट पालन में विशेष प्रशिक्षण हेतु राजकीय प्रसाराध्यापक प्रशिक्षण केन्द्र, डाभासेमर, फजाबाद पर इस योजना के अध्यापकों

हर् ६ माह का ५ क विस्तृत प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है। इन अध्यापकों को विभिन्न टुकड़ियों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। अध्यापकों का तृतीय बैच इस समय प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है।

भारत सरकार द्वारा उत्तरेति योजनाओं में व्यावहारिक पुष्टाहार कार्यक्रम करिपथ विद्यालयों में चल रहा है। वर्ष 1977-78 में 253 विकास खण्डों में यह योजना चलाई जा रही है। इस योजना के लिये 1977-78 में 92 विकास खण्डों हेतु मैदानी क्षेत्र के लिये 4,00,000 ₹ प्रति विकास खण्ड के हिसाब से वाटिका हेतु प्राविधान किया गया है जो सीधे नियोजन विभाग के द्वारा विकास खण्डों को दिया जाता है।

9—विशेष पौष्टिक आहार योजना—बच्चों को प्रोटीनयुक्त संतुलित आहार देने और अपर्याप्त पोषण के कुप्रभाव से बचाने के लिये न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पिछड़े हुए बच्चों के पूर्व विद्यालयीन बच्चों, गम्भीरी स्त्रियों एवं धाक्की माताओं को पौष्टिकाहार देने के लिये शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के 13 मैदानी तथा 2 पर्वतीय जनपदों में विशेष पौष्टिकाहार कार्यक्रम की योजना सञ्चालित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत पिछड़े बच्चे वर्ग के लगभग 1.52 लाख बच्चे तथा महिलायें लाभान्वित हो रही हैं। इन 15 जनपदों के 4 जनपदों में केयर संस्था द्वारा, 4 जनपदों में विश्व खाद्य कार्यक्रम स खाद्यालय उपहार स्वरूप प्राप्त हो रहा है तथा ये जनपदों में शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत खाद्यालय क्रय करके दिया जा रहा है। विशेष पौष्टिकाहार कार्यक्रम पर आयोजनागत बजट से 51.00 लाख रुपये व्यय हो रहा है।

2—बालाहार योजना—राज्य के 42 जनपदों में प्राइमरी विद्यालयों के निर्बंध वर्ग के छात्र/छात्राओं को मध्याह्न स्वल्पाहार देने की योजना भी विभाग द्वारा कार्यान्वित हो रही है। इसके अन्तर्गत 9.93 लाख बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। बालाहार योजना हेतु आयोजनागत बजट से लगभग 68.00 लाख रुपये तथा आयोजनेतर बजट से 74.00 लाख रुपये का प्राविधान है।

10—अंग्रेजी भाषा शिक्षण संस्थान—इलाहाबाद स्थित इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी शिक्षक/शिक्षिकाओं का प्रशिक्षण, अंग्रेजी शिक्षण के सर्वंघ में अनुसंधान तथा प्रकाशन है। अंग्रेजी प्रशिक्षण आधुनिक विधियों, विद्याओं तथा नई तकनीकी पर आधारित होता है। पिछले कई वर्षों से प्रशिक्षण केवल राजकीय विद्यालयों के अंग्रेजी अध्यापक/अध्यापिकाओं तक सीमित रहता था। वर्ष 1968 से कुछ नये स्नातक भी सीधी भर्ती द्वारा लिये जाते हैं। इसके अतिरिक्त आमीं एजूकेशन कोर के लिये भी 5 स्थान सुरक्षित हैं। प्रशिक्षण में इलाहाबाद में बाहर से आये हुये अध्यापक/अध्यापिकाओं की 60 ₹ प्रतिमास की छात्रवृत्ति का प्राविधान है।

वर्ष 1976-77 (39वें डिप्लोमा कोर्स जो 30 अप्रैल, 1977 को समाप्त हुआ, को सम्पूर्ण लित करत हुए)डिप्लोमा कोर्स में कुल 1438 अध्यापक/अध्यापिकाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग के शिक्षक अधिकारी तथा शिक्षण महाविद्यालयों के प्राध्यापकों को ग्रीष्म कालीन पुनः प्रशिक्षण में प्रशिक्षित कराया गया जिनकी संख्या 1,101 है। साथ ही संस्थान के निर्देशन में विभिन्न जिलों के लगभग 2,880 अंग्रेजी अध्यापक/अध्यापिकाओं अल्पकालीन शिविरों में प्रशिक्षित किये गये। 40वा डिप्लोमा कोर्स अगस्त 29, 1977 से प्रारम्भ हुआ और 23 दिसम्बर, 1977 को समाप्त हुआ।

11—मनोविज्ञान सेवा की सुविधा—प्रदेश में मनोविज्ञानशाला, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा मनोविज्ञान की शैक्षिक एवं व्यावसायिक क्षेत्र में वैयक्तिक एवं सामूहिक निर्देशन के साथ-साथ प्रशिक्षण, प्रवेश, चयन, शोध कार्य, प्रकाशन तथा व्यावसायिक सूचनाओं के प्रसारण का कार्य किया जाता है। इस वर्ष मनोविज्ञानशाला में आयोजित निम्नलिखित कार्य हुये :—

(1) आवासीय छात्र योजना—प्रदेश के ग्रामीण अंचलों के मैदावी छात्रों को कक्षा ४ के उपरान्त शिक्षा प्रदान करने एवं बहुमुखी विकास हेतु आर्थिक सहायता सहित कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा चलाया गया। इस सबध में २६ आवासीय विद्यालयों में छात्रों के परामर्श तथा निर्देशन का कार्यक्रम पनाया गया है। इनमें से ७ विद्यालयों में मनोविज्ञानशाला द्वारा शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श उपलब्ध कराया गया।

(2) प्रशिक्षण—मनोविज्ञानशाला द्वारा संचालित डिप्लोमा ग्राइडेन्स "साइकालोजी में सन् १९७७-७८ में १० प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षित किया गया। वर्ष १९७८-७९ में भी १० प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(3) नये मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्रों की स्थापना—इसी अवधि में गोरखपुर, लखनऊ एवं मेरठ में नवीन मण्डलीय मनोविज्ञान केन्द्रों की स्थापना की गई तथा मनोविज्ञानशाला द्वारा उन्हें परीक्षण सामग्री प्रेषित की गई। पूर्व स्थगित ४ केन्द्रों की परीक्षण सामग्री की आवश्यकताओं की भी पूर्ति इसी सस्था द्वारा की गई।

12—राज्य शिक्षा संस्थान—राज्य शिक्षा संस्थान एक विशिष्ट संस्था है। शिक्षक, प्रशिक्षक तथा निरीक्षक वर्ग का प्रायमिक शिक्षा में शोध, प्रकाशन, प्रसार, पत्राचार तथा प्राविधिक इकाई संस्थान के विशेष भाग है। एक शोध पाठ्यशाला भी इससे संलग्न है।

शोध कार्य के अन्तर्गत शक्तिशाली विकास क्षेत्र में चल रही हास एवं अवरोध निवारण योजना की पूर्ण सफलता के लिये चुने हुये गार्डों में घर-घर पुंच कर हाथ प्रस्त बच्चों को विद्यालय लाने का प्रयास किया गया जिसमें पूर्ण सफलता मिली। इसके अतिरिक्त अवरोध ग्रस्त बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था की गई। इसी के साथ विज्ञान शिक्षण को प्रभावी एवं प्रधिक लाभ प्रद बनाने के लिये गोष्ठी आयोजित की गई। उपर्युक्त सभी कार्य चार संकूलों के माध्यम से पूरा कराया गया। इसी तरह का शोध कार्यक्रम रायबरेली के डलमऊ विकास क्षेत्र में और झीलीगढ़ के जवा विकास क्षेत्र में सफलता पूर्वक चलायी जा रही है।

(2) प्राविधिक इकाई के अन्तर्गत प्रदेश के २२ सेवारत केन्द्रों के शिक्षक, प्रशिक्षक एवं उनमें भाग लेने वाले प्राइमरी स्तरीय शिक्षकों के प्रयोगार्थी भाषा, गणित, भगोल, मनोविज्ञान सबधित कला, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र की शिक्षक सदृशकार्य प्रकाशित की गई। इन्हें सेवारत प्रशिक्षण केन्द्रों पर भाग लेने वाले शिक्षकों को निर्मूल्य शिक्षा में उन्नयन एवं उनके प्रयोगार्थी वितरित किया जाता है।

13—राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद—इस संस्था में एल ० टी ० सेवा पूर्व प्रशिक्षण, सेवाकालीन प्रशिक्षण, सीधे भर्ती से फ्रीडीय छेनी में चुने गये शिक्षा अधिकारियों तथा सेवारत शिक्षा विभाग के अन्य प्रप्रशिक्षित अधिकारियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है। संस्थान द्वारा इस शैक्षिक सत्र में १७ व्यक्तिगत एवं ७ सामूहिक शोध परियोजनाओं पर कार्य हो रहा है। ये शोध परियोजनाओं, पाठ्यक्रम, शिक्षण, विधियों, अध्यापक वृत्तिक शिक्षा आदि अंगों के सदृश्य: महत्वपूर्ण शैक्षिक आयामों से संबंधित हैं। उल्लेखनीय है कि विगत वर्षों में एन ० सी ० ई ० आर ० टी ० के सहयोग से माइक्रोटीचिंग से संबंधित परियोजनाओं को राष्ट्रीय महत्व प्राप्त हुआ है।

प्रत्यार्जी एवं मन्दगत से सीखने वाले छात्रों को सामान्य प्रगति के पथ पर लाने के सन्दर्भ में संस्थान में राज्य सरकार द्वारा उपचारात्मक शिक्षण इकाई (रेमेडियल टीर्चिंग यूनिट) की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य छात्राध्यापकों को उपचारात्मक शिक्षण में विशेष दक्षता प्रदान करने के साथ-साथ तद्विषयक शोध कार्य एवं साहित्य की रचना भी है।

14—राज्य विज्ञान शिक्षण संस्थान—प्रदेश में प्राह्मरी से इण्टरमीडिएट स्तर तक विज्ञान शिक्षा के सर्वोन्मुखी चिकास हेतु शिक्षा विभाग द्वारा राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, उ० प्र०, इलाहाबाद के माध्यम से अनेक योजनायें एवं कार्यकलाप सम्पादित किये जा रहे हैं जिससे विज्ञान शिक्षा में नवी जगत् उत्पन्न हुई है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण तथा स्थानीय साधनों की सहायता से भी विज्ञान शिक्षण की दिशा में राज्य विज्ञान संस्थान द्वारा प्रयोगात्मक स्तर पर कार्य किया गया है तथा विज्ञान व शिल्प शिक्षकों की कार्यशालायें आयोजित की गयी जिनके प्रनुसार सबधित सहित एवं स्वनिर्मित उपकरण तंत्र यार कराये जा रहे हैं। एन० सी० ह० आर० टी० द्वारा संचालित राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा सबधी हुई स्कूल तथा इण्टर कक्षाओं के छात्रों के लाभार्थ, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान द्वारा माडल प्रश्न बैंकों का निर्माण करके मण्डल जनपद स्तर पर छात्रों के निदेशन व प्रशिक्षण की योजना चलायी जा रही है।

15—अध्यापकों को राष्ट्रीय एवं राज्य पुरस्कार—भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 'अध्यापकों को राष्ट्रीय पुरस्कार' नामक योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 8 प्राथमिक स्तर, 4 माध्यमिक स्तर और संस्कृत तथा अरबी-फारसी के सुदोषय अध्यापिकाओं को पुरस्कृत किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा भी प्राथमिक स्तर के 8, माध्यमिक स्तर के 4, संस्कृत पठशालाओं के 3, अरबी-फारसी मदरसों, शिशु शिक्षण तथा शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं के दो-दो अध्यापकों को प्रतिवर्ष पुरस्कृत किये जाने की घ्यवस्था है। प्रत्येक अध्यापक को 1,000 रु. का नकद पुरस्कार, एक कली शान, एक पदक और प्रमाण पत्र पुरस्कार संरूप प्रदान किया जाता है।

16-- वेद पड़ितों को पुरस्कार—संस्कृत विद्वानों एवं वेद पड़ितों को पुरस्कृत करने के लिये 20,000 रुपये का प्राविधान है।

17—राज्य हिन्दी संस्थान—राज्य हिन्दी संस्थान की स्थापना 25 मार्च, 1969 को इलाहाबाद में हुई। यह संस्था इस समय वाराणसी में है।

संस्था के प्रमुख कार्य हैं—

(1) **प्रकाशन—**वर्ष 1978-79 में अब तक वाणी अंक 15, 16, 17 का प्रकाशन किया जा चुका है। जनवरी, 1979 में वाणी अंक 18 'प्रीढ़ शिक्षा विशेषाक' का प्रकाशन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त वर्ष 1978-79 में निम्नांकित पाण्डुलिपियाँ प्रकाशित की जा चुकी हैं:—

(1) उच्चारण शिक्षण (2) राष्ट्र शक्ति

'लोकोक्ति संग्रह' और 'संस्कृत सुभाषित संग्रह,' शीर्षक लघु पुस्तकों यंत्रस्थ हैं। 'कारक' 'हिन्दी संक्षिप्त व्याकरण' तथा 'हिन्दी तेलगु शब्द संग्रह,' का प्रकाशन कार्य वर्ष 1978-79 में ही पूर्ण हो जाने की सभावना है।

(2) शोध-वर्ष 1977-78 में 'आओ वर्तनी मुझारें' शीर्षक से पूर्व माध्यमिक व माध्यमिक स्तर पर किये गये वर्तनी संबंधी शोध कार्यों का प्रकाशन किया जा चुका है। वर्ष 1978-79 में उपर्युक्त विषयों पर कार्य समाप्त किया जायगा। तथा निम्नांकित दो विषयों पर कार्य चलता रहेगा:—

1—पंजाबी छात्रों के हिन्दी ज्ञान से सबंधित समस्याओं का अध्ययन।

2- बंगाली छात्रों के हिन्दी ज्ञान से सबंधित समस्याओं का अध्ययन।

18—शारीरिक शिक्षा खेलकूद एवं युवक कल्याण—(क) (1) **शारीरिक शिक्षा—सामान्य** शिक्षा के साथ-साथ शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद की प्रगति पर विशेष बल दिया जा रहा है। शारीरिक शिक्षा के लिये प्रशिक्षित अध्यापक सुलभ करने हेतु राजकीय शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय में डी० पी० ए० ड० तथा सी० पी० ए० कक्षाओं में 50-50 छात्राध्यापकों की संख्या में वृद्धि कर दी गई है।

इस समय प्रदेश में दो राजकीय (रामपुर पुरुषों के लिये तथा इलाहाबाद में महिलाओं के लिये) तथा दो अराजकीय (एक लखनऊ में और एक समोद्धपुर, जिला जौनपुर में) शारीरिक प्रशिक्षण महाविद्यालय हैं, जहाँ क्रमशः ढी ०पी ०एड ० और सी ०पी ०एड ० का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(2) भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही राष्ट्रीय शारीरिक स्वस्थता दल योजना के प्रदेश में अनुदेशक के पद नाम से खापा दिया गया है। ये सभी श्रनुदेशक पूर्ववत् विभिन्न विद्यालयों में पदस्थ हैं जो विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के कार्यों की शारीरिक शिक्षा अध्यापकों की भाँति कर रहे हैं।

(3) राष्ट्रीय शारीरिक कुशलता अभियान कार्यक्रम को समस्त विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा की भाँति अनिवार्य कर दिया गया है तथा प्रदेश भर में 600 केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

(ख) खेलकूद—ग्रामीण क्षेत्रों में खेलकूद को लोकप्रिय बनाने के लिये प्रदेश के हर जनपद और मण्डल के प्रत्येक खेल के एक-एक सर्वश्रेष्ठ छात्र एवं छात्रा (छिलड़ी) को क्रमशः ६० रु० और १२० रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण रजत एवं कास्य पदक विजेताओं को क्रमशः २००, १७५ और १५० रु० की छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। इस प्रकार खेलकूद के प्रोत्साहन के लिये छात्रवृत्ति के रूप में प्रदान की जाती है। वर्ष १९७७-७८ में राष्ट्रीय विद्यालयों शरद एवं शीतकालीन प्रतियोगिता क्रमशः अमृतसर तथा त्रिवेन्द्रम (केरल) में आयोजित की गई थी। जिसमें उत्तर प्रदेश के प्रतियोगियों ने ११ स्वर्ण, ११ रजत, ४ तथा ११ कास्य पदक प्राप्त किये। इसके अतिरिक्त राष्ट्र किकेट प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश की विद्यालयी टीम विजेता रही। इस वर्ष खेलकूद के क्षेत्र में शिक्षा विभाग की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि विभाग के अन्तर्राष्ट्रीय एशियन विद्यालयी कृष्णाल प्रतियोगिता, आगरा में आयोजित करने का अवसर अखिल भारतीय स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा प्रदान किया गया। इसमें विदेश की १० टीमों ने भाग लिया। भारत की तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण पदक विजेता छात्र/छात्राओं को विभाग की ओर से पुरस्कृत करके सम्मानित किया जाता है।

(ग) युवक कल्याण—प्रदेश के छात्र/छात्राओं को 'अपना देश अपना प्रदेश जानो' कार्यक्रम के अन्तर्गत इस वर्ष आठ राजकीय विद्यालयों (बालक/बालिकाओं) के छात्र/छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण हेतु इस प्रदेश के विभिन्न भागों में भेजा गया। जिसके रेल एवं बस के किराये के अय हेतु विभाग द्वारा उक्त राजकीय विद्यालयों को तीन-तीन हजार रुपये की धनराशि प्रदान की गई।

19—राष्ट्रीय बचत योजना—बचपन से ही धन संचय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विद्यालयों में सचायिका योजना कार्यान्वित की जा रही है जिसमें प्रत्येक वर्ष लाखों की संख्या में छात्र सदस्य बनते हैं। राष्ट्रीय बचत योजनाओं में शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों, अधिकारियों एवं छात्रों का प्रशसनीय योगदान है।

20—राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान—राष्ट्रीय अध्यापक कल्याण प्रतिष्ठान योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे अध्यापकों और उनके आश्रितों को सहायता देना है जिनकी आर्थिक स्थिति दयनीय है। इस प्रतिष्ठान के प्रबन्ध और प्रशासन के लिये कन्दीय स्तर पर भारत सरकार शिक्षा मन्त्रालय, नई दिल्ली में एक समन्वय समिति गठित है। प्रदेशीय स्तर पर इस कार्य के लिये कार्यकारिणी समितियां भी हैं। इस राज्य में प्रदेश कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष शिक्षा मंत्री एवं सचिव कोषाध्यक्ष, शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश हैं। वर्ष १९७७-७८ तक इस योजनान्तर्गत ३४७६ अन्यायियों को अध्यापक कल्याण कोश से आर्थिक सहायता दी जा चुकी है।

21—मारत स्काउट एवं गाइड्स, उत्तर प्रदेश—इलाहाबाद को अपनी सेवाओं को विस्तृत करने एवं कार्यक्रमों को सुचारू रूप से सञ्चालित करने के लिये वर्ष 1976-77 से 70,000 रुपया आयो-नेतर आर्य व्ययक से तथा 2,00,000 रुपया आयोजनागत आय-व्ययक से स्वीकृत किया गया। प्रदेश में कक्षा 6-8 में स्काउटिंग अनिवार्य कर दी गयी है।

22—बाल भवन—आधुनिक समाज के बच्चों के माता-पिता कार्य में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे अपने बच्चों के विकास की ओर पर्याप्त समय नहीं दे पाते। अल्प आयु के बच्चों के सम्बन्धशील मस्तिष्क को विकसित करने के लिये समुचित सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। इसका यह मरणाम होता है कि इन बच्चों का विकास अवश्य हो जाता है। अत राज्य सरकार ने यह निश्चय किया कि प्रदेश में 5-15 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये बाल भवन की स्थापना की जाय। एक बाल भवन में लगभग 200 बच्चों को सुविधा दी जाये जिसमें 10 प्रतिशत सुविधा पिछड़े निर्बंल तर्ग के बच्चों के लिये सुरक्षित किया जाना प्रस्तावित है।

23—निर्धारित मूल्यों पर पुस्तकें तथा लेखन सामग्री—वर्ष 1974-75 से उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों को भारत सरकार द्वारा रियायती दर पर दिये गये कागज से बनी कापिया उपलब्ध कराई जा रही है।

(1) वर्ष 1978-79 हेतु कक्षा 1 से 8 तक के कुल 81 राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों की लगभग 2,75 करोड़ प्रतिया प्रदेश के अनुमोदित मुद्रकों/प्रकाशकों द्वारा मुद्रित/प्रकाशित कराने की व्यवस्था की गई।

(2) यूनीसेफ सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग 5,39 लाख की विज्ञान विषयक पाठ्य पुस्तकों वर्ष 1978-79 में वितरित करायी जाने का प्राविग्रान है।

(3) शासन ने वर्ष 1976 से कक्षा 1 से 12 तक के सभी राष्ट्रीयकृत तथा पाठ्य-क्रम नुसार स्वीकृत पाठ्य पुस्तकों का रियायती दर के कागज पर मुद्रित करना अनिवार्य कर दिया है। अत उक्त प्रकार की रियायती दर के कागज से छपी पुस्तकों का मूल्य पहले से अपेक्षाकृत कम हो गया।

(4) जिन उद्दी की राष्ट्रीयकृत पाठ्य पुस्तकों का मूल्य कम सख्त्या में छपवाने के कारण हिन्दी के समान पुस्तकों से अधिक आ रहा था उनसे शासन ने सब्सीडी स्वीकृत कर उनका मूल्य हिन्दी पुस्तकों के बराबर कर दिया।

(5) कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकों को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश पुस्तक अधिनियम लागू किया गया है।

24—अन्य उपलब्धिया—

(1) राजकीय शिशु प्रशिक्षण महिला महाविद्यालय, इलाहाबाद के प्रधानाचार्य, शिक्षिका वर्ग तथा छात्राध्यापिकाओं ने सर्वेक्षण कर बाढ़ पीड़ित परिवारों से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित किया तथा राहत कार्य किया।

(2) अरबी^२ तथा फारसी परीक्षाओं को माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, को परीक्षाओं के समान समकक्षता प्रदान करने हेतु पञ्च व्यवहार किया जा रहा है।

(3) माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अभिलेखों को माइक्रोफिल्मग कराने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत पुराने टेबुलेशन रजिस्टरो को जीर्णशीर्ण होने एवं दीमक आदि से बचाने हेतु माइक्रोफिल्मग कराया जा रहा है। इससे महत्वपूर्ण अभिलेखों की सुरक्षा की जा सकेगी साथ ही इनके रखने में स्थान भी कम लगेगा तथा अभिलेखों में गडबड़ी की समावना भी नहीं रहेगी।

सारिणी—१
शिक्षा के लिये निर्दिष्ट बजट

वर्ष	बालको की शिक्षा		शिक्षा के लिये निर्दिष्ट बजट
	बालकों की शिक्षा के लिये बजट	बालिकाओं की शिक्षा के लिये बजट	
1	₹ ०	₹ ०	₹ ०
1946-47	..	2,50,32,561	68,17,239 3,18,49,800
1950-51	.	6,61,14,800	76,29,400 7,37,44,200
1955-56	.	9,30,63,300	89,53,200 10,20,16,500
1960-61 शिक्षा	..	12,17,33,000	1,18,23,200 13,35,56,200
1960-61 शिक्षा नियोजन		*	*
1965-66 शिक्षा	.	24,36,60,500	2,53,76,200 26,90,36,700
1965-66 शिक्षा नियोजन		14,42,21,200	2,13,46,000 16,55,67,200
1973-74 शिक्षा	.	1,02,99,58,800	7,27,21,800 1,10,26,80,600
1973-74 शिक्षा नियोजन		43,15,52,400	1,28,90,700 44,44,43,100
1976-77 शिक्षा		1,87,04,56,900	13,48,22,200 2,00,52,79,100
1976-77 शिक्षा नियोजन		14,37,92,800	4,27,000 14,42,19,800
1977-78 शिक्षा		1,97,18,28,600	26,26,63,000 2,23,44,91,600
1977-78 शिक्षा नियोजन		19,54,76,500	5,97,000 19,60,73,500
1978-79 शिक्षा	.	2,03,15,35,200	28,21,02,400 2,31,36,37,600
1978-79 शिक्षा नियोजन		26,50,39,500	6,75,000 26,57,14,500

टिप्पणी—इसके अतिरिक्त बालकों की शिक्षा के लिये बजट में बालिकाओं की शिक्षा पर व्यय सम्मिलित है। *बजट में उपलब्ध नहीं है।

सारिणी

शिक्षा के विभिन्न शीर्षकों

	1946-47	1950-51	1955-56	1960-61
	1	2	3	4
शिक्षा—				
1—प्रारम्भिक	1,21,72,100	3,32,18,200	4,24,73,600	5,69,27,000
2—माध्यमिक	99,16,800	1,65,95,000	2,35,46,400	3,36,10,200
3—विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज	26,91,900	47,77,100	89,47,700	1,13,62,000
4—ट्रेनिंग	18,14,200	5,99,400	9,14,900	9,83,400
5—अन्य	52,54,800	1,85,54,500	2,61,33,900	3,06,73,600
6—विशेष शिक्षा				
7—प्राविधिक शिक्षा				
8—श्रीडा एवं युवक कल्याण				
9—सामान्य शिक्षा				
10—एक मुश्त प्राविधान				
योग	3,18,49,800	77,37,44,200	10,20,16,500	13,35,56,200
शिक्षा नियोजन—				
1—प्रारम्भिक			..	2,54,76,900
2—माध्यमिक		.		63,67,000
3—विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेज		41,17,000
4—ट्रेनिंग		13,06,000
5—अन्य		.	.	14,74,100
6—विशेष शिक्षा		
7—प्राविधिक शिक्षा		
8—श्रीडा एवं युवक कल्याण
9—सामान्य शिक्षा
10—एक मुश्त प्राविधान		
11—अनुसूचित जातियों, जन- जातियों एवं अन्य पिछड़े हुए वर्गों का कल्याण ।	
योग			..	3,87,41,000

ट्रेनिंग से सम्बन्धित वर्जन वर्ष 1974-75 में विश्वविद्यालय तथा डिग्री कालेजों में सम्मिलित

—2
के लिये वजट

1965-66	1973-74	1976-77	1977-78	1978-79*
6	7	8	9	10
10,30,06,400	35,43,83,200	1,04,10,69,100	1,09,35,18,000	1,21,25,57,200
6,53,67,800	25,53,04,000	50,38,54,800	60,54,11,300	67,97,50,600
1,91,07,100	5,08,76,300	32,36,10,500	25,53,97,500	26,61,60,900
13,96,900	30,12,300			
8,01,58,500	43,91,04,800			
..		1,81,25,200	1,80,48,100	2,41 89,600
..		4,78,20,300	5,26,34,400	5,82,57,800
.	.	2,42,73,000	2,60,64,300	2,68,58,400
..		26,200	23,000	23 100
		14,65,00,000	18,33,95,000	4,58,40,000
26,90,36,700	1,10,26,80,600	2,00,52,79,100	2,23,44,91,600	2,31,36,37,600
6,75,47,200	31,02,30,900	7,70,90,000	8,91,09,000	12,95,13,400
3,20,95,900	2,70,01,300	2,49,44,200	4,12,20,000	5,24,23,000
1,47,51,200	1,65,98,100	2,02,94,000	2,25,80,000	2,50,14,000
75,21,200	13,17,300			
4,36,51,700	8,92,95,500			
		30,98,600	81,27,000	1,28,61,000
		1,00,30,000	88,65,000	1,00,91,100
		81,58,000	79,44,500	1,19,46,000
.		6,05,000	7,55,000	1,90,000
.				
			1,74,73,000	2,36,76,000
16,55,67,200	44,44,43,100	14,42,19,800	19,60,73,500	26,57,14,500

कर दिया गया है।

सारिणी—3
प्रबन्धानुसार शिक्षा संस्थायें सामाजिक शिक्षा

	1946-47	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66	1973-74	1976-77	1978-79*	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
राजकीय	.	201	1,094	1,005	1,341	2,366	1,031	1,118	1,299
स्थानीय निकाय	.	10,673	30,323	31,471	39,386	58,923	65,577	68,282	75,016
विश्वविद्यालय *	.	5	6	6	9	9	14	19	19
सहायता प्राप्त/असहायता प्राप्त	.	5,551	4,449	4,627	5,663	7,945	11,701	12,043	9,521
योग	.	22,430	35,872	37,109	40,399	69,243	78,383	81,462	85,855

टिप्पणी.— (1) विश्वविद्यालयों की संख्या वर्ष 1946-47, 1950-51, 1955-56 तथा 1960-61 में सहायता प्राप्त संस्थाओं की संख्या में सम्मिलित थी।

(2) *दो विश्वविद्यालय मानी गईं संस्थायें सम्मिलित नहीं हैं।

(3) (i) काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

(ii) गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय, सहारनपुर।

(iii) वर्ष 1973-74 में एक विश्वविद्यालय मानी गईं संस्था कागड़ी हरिद्वार, सहारनपुर सम्मिलित नहीं हैं।

**आकड़े अस्थायी हैं।

सारिणी—4

विभिन्न प्रकार की मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थायें प्रथम तीन स्तर

	1946-47	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66	1973-74	1976-77	1978-79
1	2	3	4	5	6	7	8	9
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय— (लड़के)	..	415	833	1,253	1,489	2,050	3,519	3,853
उच्चतर माध्यमिक विद्यालय— (लड़कियां)	..	91	154	221	282	451	646	717
योग—सब ग्रामीण क्षेत्रों में		508	987	1,474	1,771	2,501	4,165	4,537
		55	305	592	749	1,212	2,250	2,886
सीनियर वैसिक स्कूल— (लड़के)	..	1,344	2,386	3,128	3,674	4,945	7,492	8,266
सीनियर वैसिक स्कूल— (लड़कियां)	..	508	468	512	661	1,209	2,584	3,162
योग—सब ग्रामीण क्षेत्रों में		1,850	2,854	3,640	4,335	6,154	10,076	11,428
		1,199	1,984	2,856	3,272	4,950	7,572	8,434

*आकड़े अस्थायी हैं ।

सारिणी—5

[विभिन्न प्रकार की मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाये (अन्तिम दो स्तर)]

		1946-47	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66	1973-74	1976-77	1978-79*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
विश्वविद्यालय	लड़के लड़किया	5	6	6	9	9(क)	14(ख)	19(ख)	19(ख)
	योग	5	6	6	9	9(क)	14(ख)	19(ख)	19(ख)
डिग्री कालेज (ग)	लड़के लड़किया	14 2	34 6	57 8	108 20	147 36	242 62	275 76	284 84
	योग	16	40	65	128	183	304	351	368

*आकड़े अस्थायी हैं।

(क) विश्वविद्यालय मानी गई संस्थायें सम्मिलित नहीं हैं।

(ख) गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय, सहारनपुर काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

(ग) विश्वविद्यालय मानी गई एक संस्था गुरुकुल कागड़ी विश्वविद्यालय, सहारनपुर सम्मिलित नहीं है।

(ग) वर्ष 1973-74 तक ये केवल सामान्य शिक्षा के डिग्री कालेज हैं, एश्रीकल्चरल, ट्यूटोरियल कालेज तथा ट्रेनिंग कालेज की सूच्या सम्मिलित नहीं हैं।

सारिणी

संस्था के अनुसार छात्रों की

		1946-47	1950-51	1955-56
1	2	3	4	5
विश्वविद्यालय**	लड़के लड़किया	9,760 758	19,105 1,671	24,616 2,802
	योग .	10,518 (ग्र)	20,776	27,418
डिप्री कालेज	लड़के लड़किया	20,643 (ब) 1,700 (ब)	27,294 2,504	45,725 4,874
	योग .	22,343(ब)	29,798	50,599
उच्चतर माध्यमिक स्कूल	लड़के लड़किया	1,77 562 (द) 25,663 (द)	3,59,580 57,825	5,56,530 87,599
	योग	2,03,225(द)	4,17,405	6,44,129
सीनियर बेसिक स्कूल	लड़के लड़किया	1,64,667 1 83,174	2,78,339 1 69,798	3,55,266 71,759
	योग ..	2,47,841	3,48,137	4,27,025
जूनियर बेसिक स्कूल	लड़के लड़किया	13,86,453 1,89,055	23,92,175 3,34,948	22,53,231 4,84,596
	योग ..	15,75,508	27,27,123	27,37,827
नर्सरी स्कूल	लड़के लड़किया	644 162	1,507 991
	योग	806	2,498

(द) इन्टर कक्षाओं के विद्यार्थी सम्मिलित नहीं हैं।

(ग) यह केवल विज्ञान और कला के विद्यार्थियों की संख्या हैं।

(ब) इन संस्थाओं में समस्त इन्टर कला के विद्यार्थी सम्मिलित हैं।

*आकड़े अस्थाई हैं।

**माने गये विश्वविद्यालयों के छात्रों की संख्या सम्मिलित नहीं है।

—6

संख्या

1960-61	1965-66	1973-74	1976-77	1978-79*
6	7	8	9	10
29,785	37,628	68,263	75,149	84,997
4,033	8,208	15,794	17,764	22,878
33,818	45,836	84,057	92,913	1,07,875
58,959	74,295	1,96,137	2,21,767	2,38,225
8,743	20,263	49,794	60,214	66,220
67,702	94,558	2,45,931	2,81,981	3,04,445
7,57,592	12,71,038	21,59,045	23,58,101	24,60,216
1,54,485	2,87,862	5,08,127	6,07,552	6,60,487
9,12,077	15,58,900	26,67,172	29,65,653	31,29,703
4,46,139	7,86,905	11,60,607	12,29,871	12,62,712
1,03,686	1,94,945	3 11 840	3,35,367	3,90,427
5,49,827	9,83,850	14,72,447	15,65,238	16,53,139
31,70,868	57,64,857	73,03,060	73,99,642	74,17,752
7,87,960	30,23,248	42,40,023	42,60,085	44,57,475
39,58,828	87,68,105	1,15,43,083	1,16,59,727	1,18,75,227
4,486	11,882	15,398	16,291	17,497
3,069	7,745	9,306	10,925	11,317
7,554	19,627	24,704	27,216	28,814

सारिणी

संस्थानुसार अध्यापकों

		1946-47	1950-51	1955-56
1	2	3	4	5
विश्वविद्यालय**				
	पुरुष	839	1,201	1,331
	महिला	56	71	114
	योग	895	1,272	1,445
डिग्री कालेजों में				
	पुरुष	441	1,175	2,155
	महिला	37	74	172
	योग	478	1,249	2,327
उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में				
	पुरुष	7,610	15,453	24,541
	महिला	1,577	2,774	4,130
	योग	9,187	18,227	28,671
सीनियर वेसिक स्कूलों में				
	पुरुष	7,960	11,605	16,734
	महिला	3,421	2,900	3,261
	योग	11,381	14,505	19,996
जूनियर वेसिक स्कूलों में				
	पुरुष	39,358	65,110	70,641
	महिला	2,961	5,189	6,934
	योग	42,319	70,299	77,575
नर्सरी स्कूलों में				
	पुरुष	..	8	35
	महिला	..	14	149
	योग		22	184

*ग्राकड़े गम्भीर हैं।

**विश्वविद्यालय मानी गई संस्थाओं के अध्यापकों की संख्या सम्मिलित नहीं है।

की संख्या

1960-61	1965-66	1973-74	1976-77	1978-79*
6	7	8	8	10
2,089	2,797	3,791	4,154	4,526
159	234	504	599	682
2,248	3,031	4,295	4,753	5,208
3,113	4,640	8,646	9,569	9,391
331	793	1,638	2,173	2,324
3,444	5,433	10,284	11,742	11,715
30,222	45,717	79,699	85,836	86,037
5,854	10,697	16,918	17,727	18,612
36,076	56,414	96,617	1,03,563	1,04,649
19,057	28,865	44,172	43,175	46,818
4,202	7,002	12,970	13,508	14,867
23,259	35,867	57,142	56,683	61,685
87,340	1,44,659	1,95,908	1,93,557	1,99,981
11,714	23,918	39,031	40,947	41,317
99,054	1,68,577	2,34,939	2,34,504	2,41,298
51	199	199	253	253
348	723	752	733	780
399	922	951	986	1,033

**सारिणी
स्तरानुसार छात्रों**

	1	1964-65		1965-66	
		2	3	4	
छात्रों की सख्ता प्री-प्राइमरी स्तर		कुल बालिका	24,393 9,417	25,815 10,535	
जूनियर बेसिक स्तर (कक्षा 1-5)		कुल बालिका	81,13,761 26,47,447	90,17,914 37,39,237	
सीनियर बेसिक स्तर (कक्षा 6-8)		कुल बालिका	13,51,129 2,16,983	15,14,037 2,55,618	
हाई/हायर सेकेन्डरी स्तर (कक्षा 9-12)		कुल बालिका	7,00,172 90,170	8,02,656 1,11,982	
स्नातक स्तर		कुल बालिका	60,354 12,593	74,232 17,127	
स्नातकोत्तर स्तर		कुल बालिका	18,051 3,578	19,755 4,210	

- (1) प्री-प्राइमरी स्तर स्कूलों, वर्ष 1964-65, 1965-66 व 1966-67 के आकड़ों में इन सख्ताओं के छात्र सम्मिलित हैं जो कक्षा 1-5 में पढ़ते हैं जबकि 1967-68-व आगे के वर्षों में इन्हें सम्मिलित नहीं किया गया। अत 1964-65-से 1966-67-नवा, 1967-68 व 1968-69 के आकड़े विस्तार क्षेत्र विविध होने के कारण तुलनीय नहीं हैं।
- (2) हाई/हायर सेकेन्डरी स्तर के छात्रों में डिग्री कालेजों से सम्बद्ध कक्षा] 11 व 12 के छात्रों की सख्ता वर्ष 1964-65 से 1976-77 तक सम्मिलित नहीं है।

*आकड़े अस्वायी हैं।

—८
की संख्या

1966-67	1967-68	1973-74	1976-77	1978-79*
5	6	7	8	9
30,747	25,872	33,669	37,195	45,584
12,689	10,455	13,363	15,572	18,949
95,79,995	99,15,153	1,17,98,906	1,19,65,491	1,21,60,979
34,00,569	35,72,497	43,42,162	43,81,308	45,07,477
16,34,498	17,80,136	24,27,658	25,11,118	27,39,378
2,74,446	3,03,891	4,90,515	5,44,618	7,04,217
8,79,799	9,69,145	14,52,681	17,11,716	17,40,942
1,17,162	1,40,089	2,23,129	2,73,239	2,98,063
{ 81,632	94,936	198 350	2,35,783	2,50,217
19,833	22,018	41,559	52,188	55,127
21,186	25,099	30,366	58,772	74,227
4,840	6,040	12,036	14,279	21,498

सारिणी-9

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं के लिये मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या

	1946-47	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66	1973-74	1976-77	1977-78	1978-79	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
इंडियन स्कूल परीक्षा—										
लड़कों की शिक्षा संस्थाएं	428	749	1,175	1,404	1,837	3,217	3,716	3,717	4,090	
लड़कियों की शिक्षा संस्थाएं	73	130	197	257	354	601	630	632	685	65
योग	501	879	1,372	1,661	2,191	3,818	4,346	4,349	4,775	
इंटरमीडिएट परीक्षा—										
लड़कों की शिक्षा संस्थाएं	168	334	652	786	1,002	1,753	2,001	2,002	2,183	
लड़कियों की शिक्षा संस्थाएं	15	41	111	148	214	328	367	368	393	
योग	18.	75	763	934	1,216	2,081	2,368	2,370	2,576	

सारिणी-10

हाई स्कूल परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या

	1947	1951	1956	1961	1966	1974	1976	1977	1978	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
हाई स्कूल परीक्षा में पंजीकृत संख्या										
लड़के	..	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1,67,549	2,15,252	3,14,578	5,80,624	6,07,126	6,04,874	6,92,494
लड़किया	..	"	"	16,488	22,620	41,826	1,01,577	1,34,963	1,35,638	1,33,620
योग	..	33,923	1,10,581	1,84,037	2,37,872	3,56,404	6,82,201	7,42,089	7,40,512	8,26,114
(क)										
परीक्षा में सम्मिलित होने वालों की संख्या										
लड़के	..	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	1,55,285	2,04,315	2,95,036	5,44,482	5,68,268	5,76,573	6,33,880
लड़किया	..	"	"	14,301	21,526	38,605	97,169	1,24,194	1,25,850	1,17,074
योग	..	31,506	98,534	1,69,586	2,25,841	3,33,641	6,41,651	6,92,462	7,02,423	7,50,954
उत्तीर्ण होने वालों की संख्या										
लड़के	.	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	68,589	89,880	1,30,277	1,79,102	2,03,066	2,96,214	3,14,721
लड़किया	"	"	"	8,528	13,860	25,187	67,626	74,507	86,818	75,416
योग	19,937	58,234	77,117	103,740	1,55,464	2,46,728	2,77,573	3,83,032	3,90,137	

(क) सशोधित आकड़े ।

सारिणी-11

इंटरमीडिएट परीक्षा के परीक्षार्थियों की संख्या

	1947	1951	1956	1961	1966	1974	1976	1977	1978	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रवीकृत संख्या—										
लड़के	.	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	78,457	99,600	1,48,785	3,08,408	3,39,371	3,41,129	3,33,834
लड़किया	.	“	“	9,344	13,745	27,912	69,774	86,959	89,252	92,288
योग	.	अनुपलब्ध	41,009	87,801	1,13,345	1,76,697	3,78,182	4,26,330	4,30,381	4,26,122
परीक्षा में सम्मिलित होने वालों की संख्या—										
लड़के	.	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	69,858	89,542	1,29,269	2,78,771	3,06,374	3,14,319	3,05,765
लड़किया	..	“	“	8,219	12,282	24,151	63,620	80,045	82,326	84,468
योग	..	अनुपलब्ध	34,464	78,077	1,01,824	1,53,420	3,42,391	3,86,419	3,96,645	3,90,233

उत्तीर्ण होने वालो की संख्या—

लड़के	अनुपलब्ध	अनुपलब्ध	36,376	35,645	54,381	1,47,152	1,43,201	1,94,544	1,97,817	
लड़किया	„	„	5,058	6,557	13,299	39,811	42,077	54,310	54,241	
योग	..	अनुपलब्ध	20,523	41,434	42,202	67,680	1,86,963	1,85,278	2,48,854	2,52,058

सारिणी-12

संस्कृत पाठशालाओं की संख्या और राजकीय सहायता

	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66	1973-74	1976-77	1978-79*
1	2	3	4	5	6	7	8
स्वीकृत पाठशालाएँ	.	1,400	1,014	1,050	900	900	944
छात्र संख्या	..	34,093	39,901	42,892	47,287	54,211	59,650
अध्यापक	..	3,603	4,482	4,644	3,829	4,420	4,500
सहायता प्राप्त पाठशालाएँ	..	332	408	637	776	815	872
राज्य से प्राप्त सहायता (₹० में)	..	2,53,512	4,64,446	9,62,953	22,14,020	64,32,341	67,76, 17
							प्रनुपलब्ध

* आकड़े अस्थायी हैं।

सारिणी-13
अरेविक मदरसों की सच्चा और राजकीय सहायता

	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66	1973-74	1976-77	1978-79*
1	2	3	4	5	6	7	8
स्वीकृत मदरसे	86	89	104	120	153
छात्र सच्चा	14,190	16,710	25,981	32,320
शिक्षापक	620	627	726	955	1,606
सहायता प्राप्त मदरसे	86	89	104	120	127
राज्य से प्राप्त सहायता (₹० में)	90,672	1,02,394	1,24,164	2,56,454	3,18,240	3,78,790
							अनुपलब्ध

*आकड़े अस्थायी हैं।

सारणी-14

प्रशिक्षण संस्थान तथा सम्बद्ध प्रशिक्षण संस्थायें¹⁹

	1946-47	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66	1973-74	1976-77	1978-79*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ट्रेनिंग कालेज (एल ० टी ० स्तर)								
(एक वर्ष)								
पुरुष	..	2	4	6	7	6	11	10
महिला	..	1	5	2	3	4	2	2
योग	..	3	9(ग)	8	10	10	13	12
विश्वविद्यालयों के प्रशिक्षण विभाग (बी ० एड ० तथा एम ० एड ०)								
पुरुष तथा महिला सम्मिलित	.	2		3	5	5	6	6
डिप्ली कालेजों की प्रशिक्षण कक्षायें (एल ० टी ० स्तर)				•				
पुरुष	..	.	8	10	26	36	48	78
महिला	1	2	2	6	9	23
योग	..	.	9	12	30	42	57	101

जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेज तथा
अन्य सी ०टी० स्तर की प्रशिक्षण संस्थायें—

पुरुष	..	2	अनुपलब्ध	5	5	5	8	8	..
महिला	..	2	"	7	6	8	12	12	6
योग	..	4	"	12	11	13	20	20	6
जी ०टी० सी ० कालेज (२ वर्ष)									
पुरुष	..	—	109	33	33	42	—	—	—
महिला	..	—	24	1	4	11	—	—	—
योग	..	—	133(च)	34	37	53	—	—	—
नार्मल स्कूल (२ वर्ष)									
पुरुष	..	65(द)	अनुपलब्ध	45	95	121	(—)	(—)	(—)
महिला	..	25(द)	"	16	22	42	(—)	(—)	(—)
योग.	..	90(द)	"	61	117	163	(--)	(—)	(—)
बी ०टी० सी ० (एक वर्ष)									
पुरुष	..	—	—	—	—	—	194	119	समाप्त
महिला	..	—	—	—	—	—	67	59	समाप्त
बी ०टी० सी ० (२ वर्ष)									
पुरुष	..	—	—	—	—	—	—	—	65
महिला	..	—	—	—	—	—	—	—	56
योग	..	—	—	—	—	—	261	178	121

(द) इस सद्या में ३ सेंट्रल ट्रेनिंग स्कूल और २६ ट्रेनिंग क्लास सम्मिलित हैं जिसमें एक वर्ष का कोर्स था ।

(ग) इस सद्या में १८ ट्रेनिंग क्लास सम्मिलित हैं जिनमें एक वर्ष का कोर्स था ।

(च) इनमें नार्मल स्कूल भी सम्मिलित है ।

(—) संस्थायें अब बी ०टी० सी ० में परिवर्तित हो गयी हैं ।

*भाकड़े अस्थायी हैं ।

सारिणी-15

प्रशिक्षण संस्थायें तथा सम्बद्ध प्रशिक्षण कक्षायें (छात्र संख्या)

बी०टी०सी०कालेज (दो वर्ष) ..

पुरुष	..	—	15,166	1,361	2,350	2,225	—	—	—
महिला	..	—	649	106	341	787	—	—	—
योग	..	—	15,805(ज)	1,467	2,691	3,012(क)	—	—	—

नामंत्र स्कूल (दो वर्ष)

पुरुष	..	2,523	—	3,773	9,569	16,205	—	—	—
महिला	..	608	—	567	1,311	4,210	—	—	—
योग	..	3,131(य)	—	4,340	10,880	20,415(ख)	—	—	—

बी०टी०सी० (एक वर्ष)

पुरुष	..	—	—	—	—	—	14,106	14,200	समाप्त
महिला	..	—	—	—	—	—	4,618	4,668	समाप्त
योग	..	—	—	—	—	—	18,724	18,868	—

बी०टी०सी० (दो वर्ष)

पुरुष	..	—	—	—	—	—	—	—	9,050
महिला	..	—	—	—	—	—	—	—	4,095
योग	..	—	—	—	—	—	—	—	13,145

(ज) इनमें नार्थल स्कूल के छात्र भी सम्मिलित हैं।

(ल) इनमें सी०टी० के छात्र भी सम्मिलित हैं।

(य) इस संख्या में 552 नड़के, 171 नड़किया बी०टी०सी० कोर्स भी सम्मिलित हैं।
*झाँकड़े अस्थायी हैं।

(क) इस संख्या में जे०टी०सी० यूनिट के छात्रों की संख्या भी सम्मिलित है।

(ख) इस संख्या में एच०टी०सी० यूनिट्स के छात्रों की संख्या भी सम्मिलित है।

सारिणी-16

प्रशिक्षण संस्थायें एवं सम्बद्ध प्रशिक्षण कक्षायें उत्तीर्ण होने वाले छात्राध्यापकों और छात्राध्यापिकाओं की संख्या

	1946-47	1950-51	1955-56	1960-61	1965-66	1972-73	1976-77	1978-79*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
एल ०टी, ०बी ०टी ० तथा बी ०एड ० (एक वर्ष)								
पुरुष महिला	..	289	880	1,386	3,032	3,222	765(क)	834(क)
	..	108	208	511	977	1,735	434(क)	302(क)
योग	..	397	1,088	1,897	4,009	4,957	1,199(क)	902(क)
एम ०एड ०(एक वर्ष)								
पुरुष महिला	..	4	58	36	74	92	(-)	(-)
	..	1	25	42	42	66	(-)	(-)
योग ..		5	83	78	116	158	(-)	(-)
जे ०बी ०टी ०सी ०(दो वर्ष) (सी ०टी ० स्टर)								
पुरुष महिला	..	108	32	167	110	94	360	362 समाप्त
	..	67	155	253	116	217	333	402 समाप्त
योग ..		175	187	420	226	311	693	764 समाप्त

०टी०सी०(दो वर्ष)

पुरुष	..	अनुपलब्ध	994	949	999	1,592	समाप्त	समाप्त	समाप्त
महिला	..	अनुपलब्ध	3	68	147	294	समाप्त	समाप्त	समाप्त
योग	..	अनुपलब्ध	997	1,017	1,146	1,886	—	—	—

एच०टी०सी०(दो वर्ष)
तथा बी०टी०सी०(एक वर्ष)

पुरुष	1,008	10,576	1,751	4,173	6,129	15,996	11,785	समाप्त
महिला	309	636	294	547	1,553	4,951	5,187	समाप्त

बी०टी०सी०(दो वर्ष)

पुरुष	..	—	—	—	—	—	—	5,585	₹
महिला	..	—	—	—	—	—	—	3,016	
योग	..	1,317	11,212(₹)	2,045	4,720	7,682	20,947	16,972	8,601—

(क) केवल एल०टी०परीकाफल है।

(-) आकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

*आकड़े अस्थायी हैं।

(र) सचल विद्यालय के भाग्याध्यापक भी सम्मिलित हैं। यह योजना वाद में बन्द हो गयी।

सारिणी-17

रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें एवं सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित परीक्षाओं का तीन वर्ष का परीक्षापत्र :

क्र. ०१० रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षायें		परीक्षार्थियों की संख्या, १९७६			परीक्षार्थियों की संख्या, १९७७			परीक्षार्थियों की संख्या १९७८		
सम्मिलित		उत्तीर्ण	प्रतिशत	सम्मिलित	उत्तीर्ण	प्रतिशत	सम्मिलित	उत्तीर्ण	प्रतिशत	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
१--सी ०२००४३० परीक्षा	166	140	84	184	172	93	192	184	96	
२--टी ०२००४३० परीक्षा	33	31	93	73	58	79	143	142	99	
३--टी ०१००(महिला)	241	235	97	254	233	92	56	35	63	88
४--टी ०१००४३० विज्ञान	34	28	82	33	29	88	37	31	84	केवल ग्राशिक कक्षायें
५--टी ०१००(वधिर) परीक्षा	13	13	100	15	14	93	18	17	94	
६--टी ०१००(गिरुशिक्षा) परीक्षा	132	103	78	121	95	79	139	109	78	
७--टी ०१००(वेसिक) परीक्षा	405	330	81	406	364	90	92	52	57	केवल ग्राशिक कक्षायें
८--एल ०२००(वेसिक) परीक्षा	113	100	88	108	92	85	135	84	62	
९--एल ०२००(रचनात्मक) परीक्षा	159	143	90	164	110	67	182	155	85	
१०--एल ०२००(इृह विज्ञान)	11	8	73	12	12	100	15	14	93	
११--एल ०२००(सामान्य परीक्षा)	874	664	76	821	612	75	1,222	902	74	

12—एल ०टी०(सामान्य) सेवारत	—	—	—	352	222	63	..	—	सेवारत परीक्षा
13—एल ०टी०(रसनात्मक)	—	—	—	98	77	79	—	—	इस वर्ष महीनों
14—सी ०टी० (वैसिक) ..	—	—	—	351	304	87	—	—	—
15—सी ०टी०(महिला)	—	—	—	73	36	49	—	—	हुई
16—बी ०टी०सी ०परीक्षा ।	22,297	16,972	76	3,576	2,638	74	8,564	7,694	90
(2) माध्यमिक शिक्षा परिवद्वय									
परीक्षाएँ—									
1—हाई स्कूल परीक्षा ..	6,92,462	277,573	40	7,02,423	383,032	55	750,954	390,137	52
2—इंटरमीडिएट परीक्षा ..	3,86,419	185,278	48	3,98,645	248,854	63	390,233	252,058	65

सारिणी-18*

जिलेवार 1971 की जनसंख्या, साक्षरता का प्रतिशत तथा 30 सितम्बर, 1978 की विद्यालयों की संख्या

क्र०सं०	जिले का नाम	1971 साक्षरता का प्रतिशत						विद्यालयों की संख्या*						
		जनसंख्या (हजार में)	पुरुष	महिला	समस्त जन पद में	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय			सीनियर बैसिक स्कूल	जूनियर बैसिक स्कूल				
						बालक	बालिका	योग		बालक	बालिका	योग	मिश्रित	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	फौजाबाद	..	1,927	29.73	8.09	19.32	76	13	89	175	32	207	1,395	5
2	बहराइच	..	1,737	18.84	4.28	12.19	29	4	33	113	78	191	1,297	0
3	गोडा	..	2,302	22.19	4.74	14.04	47	7	54	126	64	190	1,965	0
4	प्रतापगढ़	..	1,423	31.18	6.02	18.50	63	4	67	123	37	160	991	0
5	सुल्तानपुर	..	1,643	28.66	6.72	17.86	58	5	63	149	62	211	1,474	0
6	गोरखपुर	..	3,038	30.43	8.20	19.77	124	17	141	260	119	379	2,000	0
7	आजमगढ़	..	2,857	29.96	8.21	19.11	131	10	141	202	73	275	1,604	0
8	बस्ती	..	2,984	25.04	5.18	15.61	115	11	126	163	74	237	1,941	0
9	देवरिया	..	2,812	29.38	6.03	17.95	124	9	133	258	42	300	1,960	0
10	वाराणसी	..	2,852	39.99	13.28	27.27	120	37	157	299	112	411	1,661	0
11	बलिया	..	1,589	33.25	9.80	21.67	84	6	90	182	60	242	1,266	0
12	गाजीपुर	..	1,532	30.75	9.29	20.14	67	7	74	159	40	199	1,187	0
13	जौनपुर	..	2,005	34.52	8.80	21.23	115	9	124	205	57	262	1,212	0
14	मिर्जापुर	..	1,541	29.61	8.08	19.39	50	6	56	178	32	210	1,333	0
15	इलाहाबाद	..	2,937	35.65	10.76	23.88	149	30	179	209	76	285	1,840	0
योग प्रवीं जोन		..					352	175	1,527	2,801	958	3,759	23,126	0

1	पौडी गढ़वाल	..	553	49.32	16.52	32.00	82	6	88	126	38	164	1,131
2	चमोली	..	293	48.92	9.59	28.67	51	4	55	87	8	95	622
3	देहरादून	..	577	51.71	33.40	43.74	40	10	56	81	47	128	878
4	टेहरी गढ़वाल	..	397	36.38	4.92	19.29	46	3	49	104	33	137	731
5	उत्तरकाशी	..	148	37.02	5.37	22.04	17	1	18	58	3	61	380
6	नैनीताल	..	790	41.33	20.17	31.94	68	20	88	127	47	174	910
7	अल्मोड़ा	..	750	45.89	11.53	28.08	99	8	105	108	44	152	1,001
8	पिथौरागढ़	..	314	49.08	14.63	31.87	56	9	67	107	13	120	865

योग-मध्यवर्तीय जोन

1	झासी	..	870	35.05	12.72	24.98	39	11	50	118	53	171	948
2	ललितपुर	..	537	—	—	—	11	3	14	62	28	90	645
3	हमीरपुर	..	988	31.15	7.83	20.25	30	6	36	68	64	132	1,052
4	जालीन	..	813	40.20	12.40	37.36	54	9	63	119	49	168	914
5	बादा	..	1,182	29.31	5.84	13.39	46	6	52	138	52	190	1,167

योग-बुन्देलखण्ड

1	आगरा	..	2,309	37.46	10.52	27.97	95	32	127	261	126	387	1446
2	अलीगढ़	..	2,112	35.01	12.65	24.89	108	10	124	183	46	229	1461
3	एटा	..	1,571	30.59	11.01	21.89	78	12	90	178	34	212	998
4	मैनपुरी	..	1,446	33.74	12.83	24.24	57	7	84	191	59	250	1,270
5	मथुरा	..	1,290	36.80	10.51	24.83	86	12	98	116	36	152	1,181
6	बरेली	..	1,780	24.27	9.92	17.82	59	16	75	173	52	225	1,478
7	विजयनार	..	1,490	28.35	10.58	20.17	63	14	77	117	50	167	956

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	बदायू	..	1,646	16.19	5.85	12.66	37	12	49	73	56	129 1,155
9	मुरादाबाद	..	2,429	23.47	9.54	17.13	87	26	113	144	88	232 1,715
10	धीमीनीत	..	752	24.14	7.78	16.03	16	5	21	64	41	105 641
11	रामपुर	..	901	17.70	7.17	12.00	27	10	37	48	24	72 630
12	शाहजहांपुर	..	1,286	24.09	8.31	17.09	27	10	37	105	49	154 1,191
13	भेरठ	..	3,367	38.21	16.01	28.14	216	58	274	250	124	374 2,413
14	बुधन्दशहर		2,073	32.81	9.16	21.92	154	20	174	114	70	184 1,527
15	मुजफ्फरगढ़		1,802	30.93	12.65	22.64	76	18	94	72	53	127 1,429
16	सहारसपुर	..	2,053	31.53	13.52	23.41	87	25	112	132	74	206 1,401
17	इटावा	..	1,448	38.98	16.61	28.86	91	8	99	217	54	271 1,029
18	फर्राहाबाद	..	1,557	34.31	13.85	25.11	88	15	103	200	70	270 1,035
19	गणिधाबाद	..	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
योग, परिचयी जोन		..				1,452	316	1,768	2,638	1,108	3,746	,956
1	लखनऊ	..	1,618	41.91	24.52	33.97	67	37	104	122	60	182 1,370
2	हरदोई		1,850	27.83	6.86	19.25	45	4	49	192	74	266 1,388
3	खीरी	..	2,487	21.41	6.40	14.63	34	6	40	80	45	125 1,260
4	रायबरेली		1,511	28.63	7.41	18.33	42	7	49	137	52	189 980
5	सीतापुर	..	1,884	24.27	7.03	16.45	44	9	53	194	63	257 1,234

६ उम्राव	..	1,484	29.00	9.09	19.63	45	6	51	175	54	229	1,316
७ बाराबंकी	..	1,636	21.65	5.54	14.25	32	2	34	102	61	163	1,415
८ फतेहपुर	..	1,278	31.71	8.90	20.90	60	4	64	180	46	226	913
९ कानपुर	..	2,996	45.77	25.37	36.63	108	34	142	340	157	497	2,236
योग केंद्रीय	..					477	109	586	1,522	612	2,134	12,112
आगरा भारतीय विद्यालय	—	—	—	—	—	32	17	49	2	5	7	6
सुम्योग	8,83,41,144	31.50%	10.65%	21.70%	3,954	717	4,671	8,266	3,162	11,428	69,244	५३

मोट:-*आकड़े अस्थायी हैं।

2—गाजियाबाद जनपद के आकड़े मेरठा जनपद में सम्मिलित हैं।

सारिणी-19

30 सितम्बर, 1978 को जिलेवार संस्था के अनुसार छात्र संख्या*.

क्रम संख्या	जनपद का नाम	उच्चतर भाष्यमिक विद्यालय			सीनियर वैसिक स्कूल			जूनियर वैसिक स्कूल			
		बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	फौजाबाद	..	48,694	19,466	58,160	24,433	5,251	29,684	2,13,446	1,14,375	3,27,821
2	बहराइच	..	19,279	4,703	23,982	18,640	5,377	25,017	1,00,633	1,04,523	2,05,156
3	गोडा	..	32,541	5,331	37,872	19,850	4,344	24,194	2,79,093	1,33,788	4,12,881
4	प्रतापगढ़	..	38,690	3,039	41,729	23,377	3,841	27,218	1,42,018	90,803	2,32,825
5	सुल्तानपुर	..	34,448	13,174	37,622	31,780	3,667	35,447	1,40,973	67,959	2,08,832
6	गोरखपुर	..	1,07,030	28,594	1,35,624	32,897	6,473	39,370	2,77,315	1,75,918	4,53,233
7	आजमगढ़	..	82,534	13,271	95,805	38,457	4,059	42,516	2,82,844	1,91,471	4,74,315
8	बरस्ती	..	64,785	5,266	70,051	39,876	8,503	48,379	2,81,484	1,61,001	4,42,485
9	देवरिया	..	84,880	7,210	92,090	55,998	6,303	62,301	2,57,760	2,22,340	4,80,100
10	वाराणसी	..	95,961	26,254	1,22,215	52,765	19,722	72,487	1,75,959	73,137	2,49,096
11	बलिया	..	57,766	9,146	66,918	39,478	6,269	45,747	1,53,219	1,04,835	2,58,054
12	गाजीपुर	..	44,373	6,316	50,689	26,956	16,497	43,453	1,45,856	99,505	2,45,361
13	जौनपुर	..	63,812	10,405	74,217	44,352	5,641	49,993	1,70,110	75,498	2,45,608
14	मिहार्पुर	..	27,872	13,956	44,828	17,087	3,717	20,804	1,40,027	1,01,739	2,41,766
15	इलाहाबाद	..	90,423	20,900	1,11,323	43,127	11,607	54,734	2,17,623	1,45,198	3,62,821
योग, पूर्वी		..	8,93,088	1,67,031	10,60,119	5,09,073	1,11,271	6,20,344	29,78,360	18,62,094	48,40,454

1	पोडी गडवाल	31,051	5,480	36,531	8,643	2,866	11,509	58,800	41,200	1,00,000
2	चमोली	..	11,180	2,472	13,652	3,930	698	4,628	26,112	14,717 40,829
3	देहरादून	..	30,016	19,268	49,284	10,023	6,409	16,432	60,660	34,091 94,751
4	टेरी-गडवाल	10,962	1,671	12,633	5,873	1,058	6,931	31,284	9,259	40,543
5	उत्तरकाशी	..	3,817	654	4,471	2,014	293	2,307	11,715	5,405 17,120
6	नैनीताल	..	31,074	12,628	43,702	8,023	5,277	13,300	51,994	30,456 82,450
7	अन्मोड़ा	..	26,582	6,383	32,965	8,246	2,254	10,500	55,437	29,677 85,114
8	पिंडीरागढ़	..	16,026	4,832	20,858	7,133	1,549	8,682	34,496	20,487 54,988
योग पर्वतीय		1,60,708	53,388	2,14,096	53,885	20,404	74,289	3,30,498	1,85,292	5,15,790

1	झार्खण्ड	..	32,611	12,112	44,723	10,066	4,028	14,034	66,515	41,777 1,03,292
2	ललितपुर	..	5,728	3,163	8,891	3,051	1,000	4,051	36,350	23,771 60,121
3	हमीरपुर	..	21,739	3,627	25,366	5,854	1,754	7,608	54,112	31,688 85,800
4	जालोन	..	30,593	6,350	36,943	18,943	4,342	23,285	1,41,990	38,119 1,80,109
5	बादा	..	24,867	5,257	30,124	16,173	2,614	23,787	1,04,285	62,613 1,66,898
योग, बुन्देलखण्ड		1,15,538	30,509	1,46,047	54,087	13,738	67,828	4,03,252	1,97,968	6,01,220

1	आगरा	..	68,255	34,256	1,02,511	73,273	39,712	1,12,935	2,01,265	1,01,018 3,02,283
2	अलीगढ़	..	77,606	19,084	96,690	28,201	7,504	35,705	2,04,403	1,18,530 3,22,938
3	एटा	..	40,799	8,852	49,651	22,544	3,884	26,423	1,20,537	70,636 1,91,253

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4 मैनपुरी	..	45,681	9,188	54,869	25,342	8,379	33,721	1,03,905	79,820	1,86,725
5 मथुरा	..	49,215	17,220	66,435	15,387	6,192	21,579	1,15,219	56,193	1,71,412
6 बरेली	..	41,803	29,888	716,91	11,783	4,864	10,847	1,51,353	1,37,847	2,89,200
7 विजयनगर	39,530	11,634	51,164	8,601	5,874	14,475	1,05,841	68,146	1,73,987	
8 बदायू	24,433	7,960	32,393	10,059	2,829	12,888	1,75,125	8,510	2,61,635	
9 मुरादाबाद	47,102	17,955	65,057	22,335	12,115	34,450	2,11,411	1,24,708	3,38,117	
10 फीलीभीत	12,017	3,504	15,521	8,975	1,840	10,815	48,942	24,874	73,616	
11 रामपुर	10,570	5,697	16,267	6,200	1,490	7,690	82,317	42,560	1,24,877	
12 शाहजहापुर	15,734	7,925	23,659	15,362	4,592	19,954	95,731	57,038	1,52,769	
13 भेरठ	1,47,506	43,982	1,91,488	52,102	20,740	72,842	2,71,098	1,38,933	4,10,029	
14 बुलन्दशहर	93,168	17,935	1,11,103	12,548	4,843	17,391	1,40,817	58,819	1,97,636	
15 मुजफ्फरनगर	51,432	17,896	69,328	17,387	8,989	26,376	1,37,636	62,138	1,99,774	
16 सहारनपुर	27,581	9,849	37,430	17,211	11,603	23,814	1,42,807	76,672	2,19,479	
17 इटावा	63,893	11,840	75,733	19,800	8,584	28,384	1,15,935	67,447	1,83,382	
18 फर्रुखाबाद	46,059	13,726	59,785	24,792	8,995	33,787	1,17,594	71,842	1,89,436	
19 गाजियाबाद
योग-प्रशिक्षणी ..	9,02,384	2,83,391	11,90,775	3,91,902	1,63,029	5,54,931	25,50,989	14,35,759	39,88,748	

१ सख्तनऊ	52,402	32,323	84,725	14,911	6,733	21,644	1,33,154	1,01,842	2,34,993
२ हरदोई	29,865	5,429	35,294	28,935	4,953	33,888	1,25,090	77,285	2,02,375
३ खीरी	24,946	5,619	30,565	13,232	2,051	15,283	1,04,307	44,619	1,48,926
४ रायबरेली	30,480	5,554	36,034	20,694	4,678	25,372	1,11,543	74,546	1,96,089
५ सीतापुर	31,341	7,147	38,488	17,328	5,354	22,682	1,48,244	96,821	2,45,035
६ उम्राव	30,063	4,917	34,980	30,215	5,840	36,055	1,25,731	81,861	2,07,592
७ क्षाराबंकी	21,361	2,081	23,442	12,133	2,820	14,953	1,14,574	93,747	2,08,321
८ फतेहपुर	38,150	4,354	42,504	28,179	8,532	36,711	86,236	81,235	1,47,471
९ कानपुर	1,03,746	46,117	1,49,863	85,469	39,247	1,24,710	2,05,216	1,43,362	3,48,578
योग, केन्द्रीय	3,62,354	1, 13,541	4,75,895	2,51,096	80,208	3,31,304	11,54,095	7,75,318	19,29,413
आगल भारतीय विद्यालय	26,144	16,827	42,771	2,669	1,777	4,446	558	1,044	1,802
योग, उत्तर प्रदेश	24,80,216	8,69,487	31,29,703	12,82,712	3,90,427	16,53,139	74,17,752	44,57,475	1,18,75,227

नोट:— १* आकडे ग्रस्थायी हैं।

२—गाजियाबाद जनपद के आकडे मेरठ जनपद में मिलित हैं।

सारिगो-20

30 सितम्बर, 1978 को जिलेवार संस्थानुसार अध्यापक संघर्ष*

क्रम- संख्या	जनपद का नाम	उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में			सीनियर बोसिक स्कूल में			जूनियर बोसिक स्कूल में		
		पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	फैजाबाद	1,740	298	2,038	1,145	228	1,373	4,754	811	5,565
2	बहराइच	609	111	720	712	143	855	3,677	537	4,214
3	गोडा	1,203	194	1,397	704	217	921	4,270	443	4,713
4	प्रतापगढ़	1,300	70	1,370	739	139	878	3,627	364	3,991
5	मुल्तानपुर ..	1,093	102	1,195	1,020	168	1,188	4,382	555	4,937
6	गोरखपुर ..	3,197	482	3,679	1,335	386	1,721	6,114	1,402	7,516
7	आजमगढ़ ..	2,875	244	3,119	1,896	334	2,230	7,521	1,130	8,651
8	वस्ती ..	2,500	195	2,695	1,016	212	1,228	6,037	717	7,354
9	देवरिया ..	3,031	108	3,139	1,738	203	1,941	6,033	1,323	7,956
10	वाराणसी ..	2,902	592	3,494	2,021	334	2,415	6,223	1,298	7,521
11	बलिया ..	1,785	148	1,933	1,225	308	1,533	4,161	745	4,906
12	गाजीपुर ..	1,540	98	1,638	988	192	1,180	4,054	721	4,775
13	जौनपुर ..	2,466	167	2,633	1,309	255	1,564	5,054	905	5,959
14	मिर्जापुर ..	851	119	970	688	275	963	3,391	975	4,366
15	इलाहाबाद ..	3,125	784	3,909	1,192	597	1,789	5,137	1,605	6,742
योग-पूर्वी ..		30,217	3,712	33,929	17,728	4,051	21,779	75,635	13,531	89,166

1	पौडी-गढवाल	1,107	140	1,247	620	151	771	2,110	488	2,598
2	चमोली	743	77	820	351	53	404	907	210	1,117
3	देहरादून	789	748	1,537	389	215	604	1,054	469	1,523
4	टेहरी-गढवाल	604	53	657	450	63	513	6,862	258	7,120
5	उत्तरकाशी ..	262	26	288	240	21	261	489	80	549
6	नैनीताल ..	1,100	481	1,581	565	195	760	1,922	405	2,327
7	अल्मोड़ा ..	1,498	165	1,663	534	128	662	2,517	612	3,129
8	पिथौरागढ ..	849	152	1,001	482	63	545	1,452	390	1,842

योग पर्वतीय .. 6,952 1,842 8,704 3,631 889 4,520 17,293 2,912 20,205

1	झासी ..	957	271	1,228	391	208	599	1,950	681	2,631
2	ललितपुर	212	69	281	173	69	242	972	233	1,205
3	हमीरपुर ..	720	144	864	243	156	399	2,063	433	2,496
4	जालीन ..	1,181	280	1,461	577	186	763	1,856	398	2,254
5	आदा ..	859	115	974	807	266	1,073	3,215	420	3,635

योग-बुन्देलखण्ड 3,929 879 4,808 2,191 885 3,076 10,050 2,105 12,221

1	आगरा ..	2,212	1,028	3,240	2,164	1,266	3,430	4,367	1,334	5,701
2	भनीगढ ..	2,860	591	3,451	954	177	1,131	4,509	939	5,448
3	एटा ..	1,462	250	1,712	786	169	955	3,015	490	3,505
4	मैनपुरी ..	1,549	177	1,726	829	208	1,037	3,146	494	3,640
5	मथुरा ..	1,880	251	2,131	719	189	908	2,981	650	3,631
6	वरेली ..	1,360	375	1,735	804	334	1,138	3,011	583	3,594
7	विजनौर ..	1,370	310	1,680	377	145	522	2,389	649	3,038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	बदायूँ ..	800	219	1,019	553	124	677	3,387	772	4,159
9	मुरादाबाद ..	1,880	622	2,502	1,017	646	1,663	5,373	1,153	6,526
10	पीलीभीत	379	116	495	355	117	472	1,494	432	1,926
11	रामगुर	501	209	710	385	160	545	1,444	261	1,705
12	शाहजहापुर ..	560	242	802	543	119	662	2,445	499	2,944
13	मेरठ ..	5,080	1,303	6,383	1,457	645	2,102	7,350	1,945	9,295
14	बुलन्दशहर ..	3,440	445	4,885	572	268	840	4,673	749	5,422
15	मुजफ्फरनगर	2,115	475	2,590	681	196	877	3,774	515	4,289
16	सहारनपुर	2,017	556	2,573	598	298	896	3,821	996	4,817
17	इटावा ..	2,086	309	2,395	961	261	1,222	3,367	606	3,973
18	फर्रुखाबाद ..	1,857	372	2,229	1,025	298	1,323	3,551	816	4,367
19	गाजियाबाद
	योग, पश्चिमी ..	33,408	7,850	41,258	14,780	5,620	20,400	64,097	13,883	77,980

1	लखनऊ	1,798	1,226	3,024	610	416	1,026	3,506	1,700	5,206
2	हरिदोई	825	144	959	1,207	379	1,506	4,221	719	4,940
3	खीरी	687	155	842	424	116	540	3,268	509	3,777
4	रायबरेली	1,079	143	1,222	776	121	897	4,017	441	4,458
5	सीतापुर	875	186	1,061	1,059	262	1,321	3,210	636	3,846
6	उन्नाव	887	119	1,006	835	144	979	3,242	502	3,744
7	वारांवकी	603	44	647	451	136	587	3,545	644	4,189
8	फतेहपुर	1,182	58	1,240	706	88	794	2,797	438	3,235
9	कानपुर	3,164	1,156	4,320	2,395	1,636	4,031	5,091	3,179	8,270
<hr/>										
	योग केन्द्रीय	11,090	3,231	14,321	8,463	3,298	11,761	32,897	8,768	41,665
<hr/>										
	श्रावण भारतीय विद्यालय	441	1,098	1,539	25	124	149	3	58	61
<hr/>										
	योग उत्तर प्रदेश	86,037	18,612	1,04,649	46,818	14,867	61,685	1,99,981	41,317	2,41,298

नोट (1) *श्राकडे प्रस्थाधी हैं।

(2) गाजियाबाद जनपद के श्राकडे मेरठ जनपद में सम्मिलित हैं।

सारिणी-21

जिलेवार महाविद्यालय, छात्र संख्या एवं अध्यापक संख्या
(30 सितम्बर, 1978 की स्थिति के असनुअर)**

क्रम- संख्या	जनपद का नाम	विश्वविद्यालयों का नाम जिससे महाविद्यालय सम्बद्ध है	महाविद्यालयों की संख्या	छात्र संख्या	अध्यापक संख्या
1	2	3	4	5	6
1	फैजाबाद	अब्दुल विश्वविद्यालय	5	6,476	169
2	बहराइच	"	3	1,355	56
3	गोण्डा	"	3	2,581	126
4	प्रतापगढ़	"	7	2,980	120
5	सुल्तानपुर	"	5	2,661	115
6	गोरखपुर	गोरखपुर विश्वविद्यालय	14	6,587	273
7	आजमगढ़	"	13	8,111	353
8	बस्ती	"	8	4,290	135
9	देवरिया	"	10	6,661	290
10***	वाराणसी	वाराणसी विश्वविद्यालय	17	10,812	487
11	बलिया	गोरखपुर विश्वविद्यालय	10	4,894	248
12	गाजीपुर	"	7	3,819	147
13	जैनपुर	"	13	8,441	354
14	मिर्जापुर	"	4	1,796	71
15 *	इलाहाबाद	इलाहाबाद विश्वविद्यालय	20	12,287	470
योग, पूर्वों			139	83,751	3,414
1	पीडी-गढ़वाल	गढ़वाल विश्वविद्यालय	4	1,554	150
2	चमोली	"	2	531	45
3	देहरादून	"	7	7,354	350
4	टिहरी-गढ़वाल	"			
5	उत्तरकाशी	"	1	243	13
6	नैनीताल	कुमाऊ विश्वविद्यालय	5+	3,279	171
7	अल्मोड़ा	"	4+	1,861	98
8	पिथौरागढ़	"	2	1,298	87
योग, पश्चिमीय			25	16,120	914

1	2	3	4	5	6
1	आसी	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय	4	, 3,635	122
2	ललितपुर	"	1	262	9
3	हमीरपुर	"	3	1,034	45
4	जालौन	"	4	1,575	117
5	धांदा	"	3	2,586	118
योग, बुन्देलखण्ड			15	9,092	411
1	आगरा	आगरा विश्वविद्यालय	12	19,498	683
2	अलीगढ़	"	6	9,840	380
3	एटा	"	4	2,886	102
4	मैनपुरी	"	6	3,867	157
5	मथुरा	"	7	5,392	227
6	बरेली	बहुलखण्ड विश्वविद्यालय	5	6,758	222
7	विजनीर	"	6	3,614	168
8	बदायूं	"	2	1,286	44
9	मुरादाबाद	"	11	11,299	385
10	फीलीभीत	"	2	806	25
11	रामपुर	"	2	1,742	87
12	शाहजहापुर	"	2	1,599	55
13	मेरठ	मेरठ विश्वविद्यालय	14	19,114	760
14	बुलन्दशहर	"	10	5,453	162
15	मुजफ्फरनगर	"	7	6,343	247
16	सहारनपुर	"	11	7,386	314
17	इटावा	कानपुर विश्वविद्यालय	5	5,087	202
18	फर्रसाबाद	"	9	4,305	150
19	गाजियाबाद	मेरठ विश्वविद्यालय	11	11,238	482
योग, पश्चिमी ..			132	1,27,513	4,852

1	2	3	4	5	6
1	+लखनऊ	लखनऊ विश्वविद्यालय	19	19,768	608
2	हरदोई	कानपुर विश्वविद्यालय	2	2,060	53
3	लखीमपुर-खीरी	"	3	2,236	76
4	शयदरेली	"	6	2,553	112
5	सीतापुर	"	4	1,469	66
6	उन्नाव	"	2	1,756	71
7	बाराबंधी	अवध विश्वविद्यालय	1	798	19
8	फतेहपुर	कानपुर विश्वविद्यालय	2	889	21
9	कानपुर	"	20	26,440	1,098
		योग, पश्चिमी	59	57,969	2,124
		योग, उत्तर प्रदेश	370	2,94,445	11,715

*इलाहाबाद मण्डल में इलाहाबाद के चार पुरुषों के पात्र महिलाओं के तथा तीन हिन्दू विश्वविद्यालय कालेज, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सहयुक्त हैं। शेष सब महाविद्यालय कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हैं।

**आकड़े अनुमानित हैं।

***वाराणसी में तीन महिला तथा एक पुरुषों का कालेज बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। शेष गोरखपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है।

++लखनऊ जनपद के ममी महाविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय से सहयुक्त हैं।

+इन चार जनपदों में गढ़वाल और कुमाऊँ विश्वविद्यालयों के 5 मंचटक महाविद्यालय उपर्युक्त संख्या के अतिरिक्त चलते हैं।